"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2007—कार्तिक 11, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—श्री आलोक कटियार, भा. व. से., वन संरक्षक, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही उन्हें संचालक, पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री आलोक कटियार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल एवं संचालक, पर्यटन के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7-6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 15-10-2007 से 31-10-2007 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29-10-2007 से 08-11-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-10-2007 तथा 09, 10 एवं 11 नवम्बर के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल आगामी आदेश तक विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 15-10-2007 से 24-10-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 12-10-2007 से 19-10-2007 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री निगार के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में सुश्री जी. किण्डो, रा. प्र. से., अपर कलेक्टर, बैकुण्ठपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, कोरिया का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 26-10-2007 से 31-10-2007 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को दिनांक 22-10-2007 से 01-11-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्र. 8883/डी-3065/21-ब/छ. ग./2007.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2008 में अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1.	श्री गिरीश चंद्र बाजपेयी	10-02-1948	29-02-2008
2.	श्री तीरथ राम वर्मन	05-03-1948	31-03-2008
3.	श्री कनक प्रसाद कुर्रे	12-06-1948	30-06-2008
4.	श्री दयाराम दयाल	01-07-1948	30-06-2008
5.	श्री मैनदास माहिलकर	02-10-1948	31-10-2008

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्र. 8968/3087/21-ब/छ. ग./2007/एट्रोसिटी.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय दुर्ग में रिक्त विशेष लोक अभियोजक की नई नियुक्ति होने तक फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग में नियुक्त अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कालीदत्त त्रिपाठी को अपने कार्य के साथ-साथ एट्रोसिटी विशेष न्यायालय दुर्ग के विशेष लोक अभियोजक का कार्य भी संपादित किये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ. 1/9/भापुसे/2001.—श्री प्रदीप गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को स्वयं के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 19-07-2007 से 23-07-2007 तक 05 दिवस तथा दिनांक 26-07-2007 से 10-08-2007 तक 16 दिवस इस प्रकार कुल 21 दिवस तक की अवधि के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री प्रदीप गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 2-17/02/एमए.—जिला रायपुर एवं महासमुंद के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये डी बीयर्स इंडिया प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 20-12-2002 से 19-12-2005 तक की अवधि के लिए रिकोनेसन्स परमिट स्वीकृत था. उक्त स्वीकृत रिकोनेसन्स परमिट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नीचे विवरण में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत 454 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली हो गया है, जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत खनिज रियायत के पुन: अनुदान हेतु खुला घोषित किया जाता है.

क्र. सं.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	क्र. सं.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1	1	82°50'6.8856"	21°26'16.098"	7	7	82°42'36.4608"	21°20'54.06"
2	2	82°48'47.3076"	21°26'27.9528"	8	8	82°45'54.7632"	21°20'51.4212"
3	3	82°48'51.0012"	21°22'40.0008"	9	9	82°45'54.7632"	21°12'32.5296"
4	4	82°46'40.0008"	21°22'40.0008"	10	10	82°51'46.0368"	21°12'29.8872"
5	5	82°46'43.4076"	21°26'43.4076"	11	11	82°51'43.2036"	21°13'51.7188"
6	6	82°42'8.892"	21°27'8.892"	12	12	83°1'1.2756"	21°13'49.0764"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक/4043/एफ-8/4/2007-08/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/15/99/क्रेडिट-11, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत रबी 2007-08 फसलों के लिये संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई रबी फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी मौसम 2007-08 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्र. (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	गेहूं सिंचित	रायपुर	1 रायपुर
			2 तिल्दा

(1)	(2)	(3)	(4)
	गेहूं सिंचित	रायपुर	3 भाटापारा
			4 आरंग
			5 सिमगा
			6 पलारी
		महासमुंद	1 महासमुंद
		दुर्ग	1 दुर्ग
			2 पाटन
			3 धमधा
			4 बेमेतरा
			5 बेरला
			6 साजा
			7 गुण्डरदेही
			8 नवागढ़
		कबीरधाम	1 पंडरिया
			2 कवर्धा
		बस्तर	1 जगदलपुर
		बिलासपुर	1 बिलासपुर
			2 कोटा
			3 बिल्हा
			4 मस्तुरी
			5 तखतपुर
			6 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			7 मुंगेली
		जांजगीर-चांपा	1 जांजगीर
		रायगढ़	1 रायगढ़
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 राजपुर
			3 लुण्ड्रा
			4 सीतापुर
			5 सुरजपुर
			6 प्रतापपुर
			7 पाल
			8 वाड्रफनगर
			9 सामरी
		कोरिया	1 बैकुण्ठपुर
			2 मनेन्द्रगढ़
			3 भरतपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		जशपुर	1 बगीचा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगांव
			3 डोंगरगढ़
2.	गेहूं असिंचित	रायपुर	1 आरंग
			2 पलारी
		दुर्ग	1 दुर्ग
			2 पाटन
			3 गुण्डरदेही
			4 धमधा
			5 बेमेतरा
			6 बेरला
			7 नवागढ़
			8 साजा
			9. डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगढ़
			3 खैरागढ़
			4 छुईखदान
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पण्डरिया
		बिलासपुर	1 मुंगेली
			2 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3 लोरमी
		सरगुजा	1 सुरजपुर
3.	चना	रायपुर	1 रायपुर
			2 आरंग
			3 तिल्दा
			4 अभनपुर
			5 सिमगा
			6 भाटापारा
			7 पलारी
		धमतरी	1 धमतरी
			2 कुरूद
			3 नगरी
		दुर्ग	1 दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)
			2 पाटन
			3 बालौद
			4 धमधा
			5 बेमेतरा
			6 बेरला
			7 नवागढ़
			8 साजा
			9 गुरूर
			10 गुंडरदेही
			11 डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगढ़
			3 छुईखदान
			4 खैरागढ़
			5 डोंगरगांव
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पंडरिया
		बिलासपुर	1 तखतपुर
			2 मुंगेली
			3 लोरमी
			4 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
		जशपुर	1 पत्थलगांव
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 सुरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1 कुरूद
			2 धमतरी
			3 नगरी
		दुर्ग	1 पाटन
			2 गुंडरदेही
			3 धमधा
			4 बेमेतरा
			5 बेरला
			6 नवागढ़
			7 डौंडीलोहारा
			8 बालोद
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगढ़
			3 छुईखदान

(1)	(2)	(3)	(4)
			4 खैरागढ़
			5 डोंगरगांव
			6 मोहला
			7 अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पंडरिया
		बिलासपुर	1 मुंगेली
			2 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3 कोटा
		जांजगीर-चांपा	1 जांजगीर
			2 चांपा
		कोरबा	1 करतला
			2 पाली
		जशपुर	1 पत्थलगांव
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 सीतापुर
			3 राजपुर
			4 सुरजपुर
			5 प्रतापपुर
			6 पाल (रामानुजगंज)
			7 वाड्रफनगर
			8 लुण्ड्रा
		कोरिया	1 बैकुण्ठपुर
5.	राई-सरसों	धमतरी	1 धमतरी
			2 कुरूद
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पण्डरिया
		बस्तर	1 जगदलपुर
			2 कोण्डागांव
			3 नारायणपुर
		कांकेर	1 अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1 दंतेवाड़ा
		बिलासपुर	1 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			2 कोटा
		कोरबा	1 कटघोरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		रायगढ़	1 लैलूंगा
		जशपुर	1 जशपुर
			2 बगीचा
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 राजपुर
			3 लुण्ड्रा
			4 सीतापुर
			5 सुरजपुर
			6 प्रतापपुर
			7 पाल
			8 वाड्रफनगर
			9 सामरी
		कोरिया	1 सोनहत
			2 मनेन्द्रगढ़
			3 भरतपुर
			4 बैकुण्ठपुर
6.	आलू	सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 सीतापुर
			3 सुरजपुर
		जशपुर	1 बगीचा

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी, 2007-08 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत.

क्रमांक/4087/एफ-8/4/2007-08/रबी/14-2.—भारत सरकार का कृषि विभाग के पत्रांक/13011/15/99/क्रेडिट-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक-13011/04/2000-Credit-II दिनांक 14-9-2007 तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4043 दिनांक 11-10-2007 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन सहर्ष सूचित करता है कि रबी 2007-08 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जाएगी.

निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—

1. गेहूं सिंचित, 2. गेहूं असिंचित, 3. चना, 4. राई-सरसों, 5. अलसी, 6. आलू.

अधिसूचित क्षेत्र :—

सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अधिसूचित फसलों के लिये ली गई ऋणी राशि रबी, 2007-08 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2007 होगी.

जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

संबंधित बैंकों का नोडल शाखा दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे.

समय-सारणी

माह के विपरीत ऋण	घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने की समय-सीमा
अक्टूबर, 2007	30 नवम्बर, 2007
नवम्बर, 2007	31 दिसम्बर, 2007
दिसम्बर, 2007	31 जनवरी, 2008
जनवरी, 2008	28 फरवरी, 2008
फरवरी, 2008	31 मार्च, 2008
मार्च, 2008	30 अप्रैल, 2008 एवं मौसम की अंतिम तिथि

शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-7-2008.

अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर निम्नानुसार होंगे :-

क्र.	फसल	क्षतिपूर्ति स्तर	सामान्य प्रीमियम दर	वास्तविक प्रीमियम दर
1.	गेहूं असिंचित	60%	1.50%	5.90%
2.	गेहूं सिंचित	80%	1.50%	5.50%
3.	चना	60%	2.00%	5.60%
4.	राई-सरसों	60%	2.00%	6.65%
5.	अलसी	60%	2.00%	9.85%
6.	आलू	60%	लागू नहीं	5.10%

ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिए गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त उपज के मूल्य तक और 150% औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150% औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

प्रीमियम में अनुदान :-

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10% अनुदान की पात्रता होगी और लघु एवं सीमांत किसान के लिए समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90% राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिये मांग विकर्ष एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रायपुर को भेजना होगा.

बैंक सर्विस चार्जेस :-

सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिए कुल प्रीमियम राशि का 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जायेगा.

दावा गणना :-

दावा की गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावरी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी मौसम 2007-08 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

परिशिष्ट-1

क्र. (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	गेहूं सिंचित	रायपुर	1 रायपुर
			2 तिल्दा
			3 भाटापारा
			4 आरंग
			5 सिमगा
			6 पलारी
		महासमुंद	1 महासमुंद
		दुर्ग	1 दुर्ग
			2 पाटन
			3 धमधा
			4 बेमेतरा
			5 बेरला
			6 साजा
			7 गुण्डरदेही
			8 नवागढ़
		कबीरधाम	1 पंडरिया
			2 कवर्धा
		बस्तर	1 जगदलपुर
		बिलासपुर	1 बिलासपुर
			2 कोटा
			3 बिल्हा
			4 मस्तुरी
			5 तखतपुर
			6 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			7 मुंगेली
		जांजगीर-चांपा	1 जांजगीर
		रायगढ़	1 रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 राजपुर
			3 लुण्ड्रा
			4 सीतापुर
			5 सुरजपुर
			6 प्रतापपुर
			7 पाल
			8 वाड्रफनगर
			9 सामरी
		कोरिया	1 बैकुण्ठपुर
			2 मनेन्द्रगढ़
			3 भरतपुर
		जशपुर	1 बगीचा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगांव
			3 डोंगरगढ़
2.	गेहूं असिंचित	रायपुर	1 आरंग
			2 पलारी
		दुर्ग	1 दुर्ग
			2 पाटन
			3 गुण्डरदेही
			4 धमधा
			5 बेमेतरा
			6 बेरला
			7 नवागढ़
			8 साजा
			9. डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगढ़
			3 खैरागढ़
			4 छुईखदान
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पण्डरिया
		बिलासपुर	1 मुंगेली
			2 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3 लोरमी
		सरगुजा	1 सुरजपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	चना	रायपुर	1 रायपुर
			2 आरंग
			3 तिल्दा
			4 अभनपुर
			5 सिमगा
			6 भाटापारा
			7 पलारी
		धमतरी	1 धमतरी
			2 कुरूद
			3 नगरी
		दुर्ग	1 दुर्ग
			2 पाटन
			3 बालौद
			4 धमधा
			5 बेमेतरा
			6 बेरला
			7 नवागढ़
			8 साजा
			9 गुरूर
			10 गुंडरदेही
			11 डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव
			2 डोंगरगढ़
			3 छुईखदान
			4 खैरागढ़
			5 डोंगरगांव
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पंडरिया
		बिलासपुर	1 तखतपुर
			2 मुंगेली
			3 लोरमी
			4 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
		जशपुर	1 पत्थलगांव
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 सुरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1 कुरूद
			2 धमतरी
			3 नगरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1 पाटन 2 गुंडरदेही 3 धमधा 4 बेमेतरा 5 बेरला 6 नवागढ़ 7 डौंडीलोहारा 8 बालोद
		राजनांदगांव	1 राजनांदगांव 2 डोंगरगढ़ 3 छुईखदान 4 खैरागढ़ 5 डोंगरगांव 6 मोहला 7 अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1 कवर्धा 2 पंडरिया
		बिलासपुर	1 मुंगेली 2 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित) 3 कोटा
		जांजगीर-चांपा	1 जांजगीर 2 चांपा
		कोरबा	1 करतला 2 पाली
		जशपुर	1 पत्थलगांव
		सरगुजा	1 अंबिकापुर 2 सीतापुर 3 राजपुर 4 सुरजपुर 5 प्रतापपुर 6 पाल (रामानुजगंज) 7 वाड्रफनगर 8 लुण्ड्रा
		कोरिया	1 बैकुण्ठपुर
5.	राई-सरसों	धमतरी	1 धमतरी 2 कुरूद

(1)	(2)	(3)	(4)
		कबीरधाम	1 कवर्धा
			2 पण्डरिया
		बस्तर	1 जगदलपुर
			2 कोंडागांव
			3 नारायणपुर
		कांकेर	1 अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1 दंतेवाड़ा
		बिलासपुर	1 पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			2 कोटा
		कोरबा	1 कटघोरा
		रायगढ़	1 लैलूंगा
		जशपुर	1 जशपुर
			2 बगीचा
		सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 राजपुर
			3 लुण्ड्रा
			4 सीतापुर
			5 सुरजपुर
			6 प्रतापपुर
			7 पाल
			8 वाड्रफनगर
			9 सामरी
		कोरिया	1 सोनहत
			2 मनेन्द्रगढ़
			3 भरतपुर
			4 बैकुण्ठपुर
6.	आलू	सरगुजा	1 अंबिकापुर
			2 सीतापुर
			3 सुरजपुर
		जशपुर	1 बगीचा

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक-1946/2967/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1153/2967/32/06 दिनांक 27-06-2007 द्वारा ग्राम खरमोरा, कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना कोरबा के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरमोरा	297 का भाग	2.02 एकड़	औद्योगिक	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम खरमोरा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण खरमोरा (कोरबा) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-9-73/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. आर. चुरेन्द्र	अधीक्षक	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
2.	कु. श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
3.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
4.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री भुवनेश यादव	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
6.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
7.	श्री पी. दयानंद	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
8.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर		
9.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-9-66/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आर. आर. चुरेन्द्र	अधीक्षक	उच्चस्तर
2.	कु. श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
3.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
4.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
5.	श्री भुवनेश यादव	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
6.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
7.	श्री पी. दयानंद	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
8.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर		
9.	श्री जवाहर सिंह मार्के	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
10.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	सश्रेय
11.	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
12.	श्री हीरालाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

क्रमांक 2546/परि./07.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 28, 65, 96 तथा 211 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्रमुख सचिव, परिवहन, छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर, कक्ष क्रमांक-384, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 24, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

24 फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी-

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2.	नौसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में	50.00
3.	चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में-	
	प्रारूप-06 में	150.00
	प्रारूप-07 में	200.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में-	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में-	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00

2. नियम 62, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

62 फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी-

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशन-	
	(क) अशक्त यान	10.00
	(ख) मोटर साईकल या मोटर साईकल-रिक्शा	100.00
	(ग) हल्का मोटरयान	
	1. प्रायवेट	200.00
	2. परिवहन	400.00
	(घ) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हों	250.00
2.	अपील	150.00
3.	विनिश्चत/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
4.	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिए	100.00
5.	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए-	
	(एक) हल्का मोटरयान-	
	1. गैर-परिवहन	200.00
	2. परिवहन	400.00
	(दो) मध्यम माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटर वाहन	450.00
	(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00

3. नियम 145 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

145 फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी-

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
3.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
4.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
5.	प्रायवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
6.	मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00
7.	मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00
8.	मालयान के अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
9.	मालयान के अनुज्ञा-पत्र दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
10.	मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
11.	पर्यटक यान (ओमनी बस) अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टेक्सी-केब अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
13.	मोटर-केब से भिन्न परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में-	
	(क) धारा 87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए	300.00
	(ख) धारा 87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
	(ग) धारा 87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
14.	मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	200.00
15.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन के संबंध में-	
	(क) 07 दिवस तक के लिए	500.00
	(ख) 07 दिवस से अधिक 15 दिवस तक के लिए	1,000.00
	(ग) 15 दिवस से अधिक	1,500.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र में क्षेत्र या मार्गों का विस्तारण या उसमें फेरफार करने या प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
18.	अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में	
	(क) मोटर-केब के लिए	500.00
	(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	1,000.00
19.	चार मास के अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
20.	प्रक्रम/संविदा अनुज्ञा-पत्र में किसी यान के प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00

(1)	(2)	(3)
21.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 82 के अधीन मोटर-कैब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
22.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 82 के अधीन मोटर-केब के प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
23.	अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
25.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में-	
	(1) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु-	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(2) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में-	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
26.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत अपील के ज्ञापन पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है.	200.00
27.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में-	
	(क) अपील प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए-	
	(एक) सामान्य - प्रथम पृष्ठ के लिए रु.	30.00
	तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु.	15.00
	(दो) अतिआवश्यक - प्रथम पृष्ठ के लिए रु.	60.00
	तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु.	30.00
	(ख) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिए-	
	(एक) सामान्य - प्रथम पृष्ठ के लिए रु.	30.00
	तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु.	10.00
	(दो) अतिआवश्यक - प्रथम पृष्ठ के लिए रु.	60.00
	तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु.	20.00
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.	10.00

टीप :- 1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में फीस का संदाय यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की जूडीशियल स्टाम्प चिपका कर किया जा सकेगा.

2. इस नियम के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी. यदि आवेदक वास्तविक कृषक द्वारा उनके स्वामित्व के ट्रेक्टर-अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.

Raipur, the 22nd October 2007

No. 2546/Trans./07.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sections 28, 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary (Transport) of Government of Chhattisgarh State, Room No.-384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. for Rule 24, the following shall be substituted, namely :—

24 Fees- The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
2.	In respect of duplicate Learner's License	50.00
3.	In respect issue of duplicate Driving License-	
	(In form No. 6)	150.00
	(In form No. 7)	200.00
4.	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle	200.00
5.	In respect an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
6.	In respect of supplying a copy of the decision of the Licensing Authority-	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
7.	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority-	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00

2. for Rule 62, the following shall be substituted, namely :—

62 Fees- The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignment of temporary registration mark—	
	(A) Invalid Carriage	10.00
	(B) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw	100.00
	(C) Light Motor Vehicle	
	(1) Private	200.00
	(2) Transport	400.00
	(D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	250.00
2.	Appeal	150.00
3:	Certified copy of the decision/document	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
4.	Issue of particulars of registration	100.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness	
	(One) Light Motor Vehicle	
	1. Non Transport Vehicle	200.00
	2. Transport Vehicle	400.00
	(Two) Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle	450.00
	(Three) Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle	500.00

3. for Rule 145, the following shall be substituted, namely :—

145 Fees- The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
3.	In respect of application for grant or renewal a contract carriage permit	1,500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit	1,500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1,000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1,000.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of goods carriage permit	1,500.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of goods carriage permit.	1,500.00
10.	In respect of an application for grant/renewal of a National Permit for goods carriage.	1,500.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit	2,000.00
12.	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit	1,500.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a transport Vehicle other than a Taxi Cab—	
	(A) Under Section 87 (1) (A) for Passenger Vehicle	300.00
	(B) Under Section 87 (1) (B) for Passenger Vehicle	750.00
	(C) Under Section 87 (1) (C) for Passenger Vehicle	750.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	200.00
15.	In respect of an application for a Special Permit U/s 88 (8) of the Motor Vehicle Act-	
	(A) For the period up to 07 days	500.00
	(B) For the period exceeding 07 days up to 15 days	1,000.00
	(C) For the period exceeding 15 days	1,500.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit.	1,500.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/Reserve Stage Carriage permit.	1,500.00
18.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit	
	(A) For Motor Cab	500.00
	(B) Any other Transport Vehicle	1,000.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month.	750.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit.	750.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	1,500.00
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	750.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	250.00

(1)	(2)	(3)
24.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00
25.	In respect of Appeal or Revision	
	(1) Memorandum of appeal against the order of the following—	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
	(2) In respect of an application for revision against the order of the following—	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/application for revision.	200.00
27.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority and Regional Transport Authority—	
	(A) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 15.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 30.00 for each subsequent page.
	(B) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authoruty, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authorities.	10.00

Note :— 1. Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27 and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.

2. No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of this rule, if the application is presented by a bonafide agriculturist for Tactor-Trolly owned by him.

Explanation—The expression "bonafide agriculturist" shall have the meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र.-27 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भाठागांव प. ह. नं. 105	737	0.112	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	आवासीय प्रयोजन हेतु
			772	0.154		
			776	1.125		
			777	3.557		
			877	3.257		
			901	19.275		
		योग	**06**	**27.480**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भलपहरी	7.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा (छ. ग.)	भलपहरी जलाशय योजना में डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक/10824/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी प. ह. नं. 7	3.86	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा.	ग्राम पताढ़ी में स्थापित पावर प्लांट के रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक/10825/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पहन्दा प. ह. नं. 7	13.15	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा.	ग्राम पताढ़ी में स्थापित पावर प्लांट के रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक/10826/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल	2.50	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा.	ग्राम पताढ़ी में स्थापित पावर प्लांट के इन्टेकवेल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक/10827/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी	0.20	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा.	ग्राम पताढ़ी में स्थापित पावर प्लांट के सम्पवेल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक/10828/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	खोड्डल	5.14	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा.	ग्राम पताढ़ी में स्थापित पावर प्लांट के सम्पवेल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गाड़ामोर	04.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक/02/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	खपरी	7.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक/03/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	तिलईपार	01.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बेलदहरा जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक/02/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बेमेतरा	0.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 1 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	मुंगली प. ह. नं. 3	28.216	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	चतरी जलाशय के निर्माण योजना से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 2 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	चतरी प. ह. नं. 3	2.337	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	चतरी जलाशय के निर्माण योजना से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 3 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दुल्लापुर प. ह. नं. 6	0.117	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	उदको जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 4 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	देवसरा प. ह. नं. 4	3.982	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	देवसरा जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 5 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	लिम्हईपुर प. ह. नं. 10	6.798	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर.	देवसरा जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 6 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	गौरकापा प. ह. नं. 10	1.437	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	देवसरा जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 7 अ/82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बदना प. ह. नं. 01	2.791	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	कोवांनार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक 802 /वाचक-1/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	अलोरी	14.405	छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लिमिटेड, रायपुर.	गुल्लु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक 802 /वाचक-1/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	गुल्लु	2.481	छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लिमिटेड, रायपुर.	गुल्लु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक 802 /वाचक-1/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	मतलोंगा	0.563	छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लिमिटेड, रायपुर.	गुल्लु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक 802 /वाचक-1/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	झरगॉव	12.942	छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लिमिटेड, रायपुर.	गुल्लु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प. ह. नं. 13	0.105	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 05, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 15	3.930	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूब में आने वाले मार्ग को परिवर्तित किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चिराईपानी प. ह. नं. 15	4.746	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूब में आने वाले मार्ग को परिवर्तित किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9066/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मुंजालपाथरी प. ह. नं. 57	5.230	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9067/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मुंजालकला प. ह. नं. 60	4.874	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9068/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बीजेपार प. ह. नं. 57	7.035	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9069/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	सागर प. ह. नं. 57	4.539	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9070/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चिरचरीकला प. ह. नं. 57	5.351	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट चिरचारीकला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, डोंगरगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9071/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	अछोली प. ह. नं. 60	3.163	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, डोंगरगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9072/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	माथलडबरी प. ह. नं. 16	2.032	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9073/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मोहड़ प. ह. नं. 16	0.701	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346/2	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नगधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.73
24	0.01
56	0.06
23	0.02
132	0.01
423	0.17
429	0.05
510	0.09
533/2	0.05
529	0.18
4	0.47
26	0.01
126	0.11
125	0.02
136	0.05
424	0.02
432	0.16
522	0.02
538	0.04
129	0.06
20	0.04
27/1	0.16
58	0.03
533/1	0.04
137	0.02
425/1	0.05
508/1	0.02
523	0.09
539	0.06
426	0.04
27/2	0.01
31	0.22
19	0.02
130	0.07
138	0.02
428/1	0.02

(1)	(2)
462	0.04
533/3	0.03
59	0.07
[illegible]	0.01
55/2	0.05
139	0.02
131	0.05
422	0.01
463	0.10
509	0.01
527	0.08
60	0.09
योग	3.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधवा जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिधवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-03.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61/3	0.04
238	0.20
471	0.09
90	0.07
241	0.12
96	0.02
237/2	0.63
419	0.01
89	0.15
239/2	0.08
237/4	0.08
463	0.01
464	0.20
88	0.05
239/1	0.18
424/11	0.10
93	0.11
237/1	0.34
84	0.11
240	0.08
423	0.09
92	0.10
247	0.20
406	0.04
योग	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधवा जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 13 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.265 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/3	0.255
53	0.437
54/1	0.020
18	0.036
19/2	0.531
20	0.142
29	0.259
21/2	0.170
21/3	0.186
21/6	0.081
23/1	0.336
30/2, 30/3	0.182
30/4	0.405
32/1	0.069
32/2	0.364
95/2	0.101
32/4	0.085
33/1	0.126
33/3	0.081
33/2	0.137
34/3	0.162
(1)	(2)
98/1	0.336
34/2, 36/2, 45/2	0.041
100/1	0.301
34/1, 36/1	0.211
35, 51	0.251
50/2	0.186
248/6, 249/3	0.170
47/2	0.697
48/1	0.113
49	0.457
48/3	0.117
48/2	0.117
50/1	0.097
461/1, 470	0.016
326	0.223
247/1	0.300
464/3	0.077
327/3, 327/4	0.178
460	0.138
248/3, 264	0.235
248/10	0.041
257/2, 258/4	0.069
466	0.020
262	0.134
467	0.012
465	0.069
468	0.113
464/4	0.012
469/2, 470/2, 471/2, 472/2	0.117
479/2	0.041
478/2	0.008
477/1	0.142
477/2	0.069
477/3	0.085
483/2, 533	0.109
483/3, 533/3	0.101
488/2	0.085
500	0.065
500/4	0.178
496/1, 497/1, 497/2	0.122
496/2, 497/3, 497/4	0.061
496/3, 497/5, 497/6	0.065

(1)		(2)
	256/3	0.121
योग	64	10.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 14 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसवारा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.246 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	65/4 ख	0.117
	65/10	0.113
	65/4 क	0.016
योग	3	0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 15 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दशरंगपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.111 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
127/1	0.113
270/1	0.040
128	0.004
131/1 क	0.097
131/2	0.069
131/3	0.057
131/5	0.097
146	0.012
147/1	0.053
149	0.085
151	0.028
266	0.040
267/2	0.004
275/12	0.149
275/13	0.028
281/3	0.085
281/2	0.077
267/1	0.065
269	0.089
270/2	0.045
271/2	0.065
275/17	0.146
275/1	0.012
280/1 क, 281/1 क	0.012
328	0.097

	(1)	(2)
	282/1	0.142
	275/8	0.069
	282/4	0.032
	314/1	0.008
	327/1	0.109
	327/2 ख	0.028
	327/2 क	0.008
	336	0.016
	337	0.130
योग	34	2.111

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोरखा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	48/3	0.040
	9/3	0.162
योग		0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइन्स से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.071 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.020
442	0.146
628/1	0.283
439/1	0.222
626	0.069
631/1	0.040
439/2	0.081
627/1	0.178
571/3	0.032
योग	1.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइन्स से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक/क/खलि/तीन-1/खुला घोषित/07.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मूरा	32	तिल्दा	662/5, 662/6	1.14 एकड़	श्री थानासिंह चंद्राकर को दिनांक 19-6-95 से 18-6-2005 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान की अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.

एम. डी. कावरे,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), अम्बिकापुर छ. ग.

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील अम्बिकापुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये

अनुसार करता हूं.

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर–2	भफौली–1	करम्हा	
2	–"–	–"–	–"–	कचनपुर	
3	–"–	–"–	–"–	घंघरी	
4	–"–	–"–	–"–	वकनाखुर्द	
5	–"–	–"–	–"–	भफौली	
6	–"–	–"–	–"–	भिटटीखुर्द	
7	–"–	–"–	–"–	रुखपुर	
8	–"–	–"–	–"–	हसुली	
9	–"–	–"–	परसा–2	परसा	
10	–"–	–"–	–"–	भकुरा	
11	–"–	–"–	असोला–3	असोला	
12	–"–	–"–	–"–	देवगढ़	
13	–"–	–"–	–"–	मलगवांखुर्द	
14	–"–	–"–	–"–	रजपुरी खुर्द	
15	–"–	–"–	–"–	रनपुरखुर्द	
16	–"–	–"–	–"–	रामनगर	
17	–"–	–"–	–"–	सोनपुरकला	
18	–"–	–"–	सकालो–4	किशुननगर	
19	–"–	–"–	–"–	कुल्हाड़ी	
20	–"–	–"–	–"–	खलिवा	

1	2	3	4	5	6
	—"—	—"—	—"—	चठिरमा	
22	—"—	—"—	—"—	चिखलाडीह	
23	—"—	—"—	—"—	नरवदापारा	
24	—"—	—"—	—"—	बलसेढ़ी	
25	—"—	—"—	—"—	मेंण्ड्राखुर्द	
26	—"—	—"—	—"—	सकालो	
27	—"—	—"—	—"—	सरगवां	
28	—"—	अम्बिकापुर—1	अम्बिकापुर—5	अम्बिकापुर	
29	—"—	—"—	—"—	कान्तिप्रकाशपुर	
30	—"—	—"—	—"—	नवागढ़	
31	—"—	—"—	—"—	बधियाचुंवा	
32	—"—	—"—	—"—	मायापुर	
33	—"—	—"—	—"—	मानिकप्रकाशपुर	
34	—"—	—"—	—"—	श्रीगढ़	
35	—"—	—"—	नमनाकला—6	गंगापुरखुर्द	
36	—"—	—"—	—"—	डिगमा	
37	—"—	—"—	—"—	नमनाकला	
38	—"—	—"—	—"—	नेहरूनगर	
39	—"—	—"—	—"—	फून्दुलडिहारी	
40	—"—	—"—	—"—	बिशुनपुर	
41	—"—	—"—	—"—	भगवानपुर	
42	—"—	—"—	—"—	सुभाषनगर	
43	—"—	—"—	जगदीशपुर—7	चितालहार	
44	—"—	—"—	—"—	जगदीशपुर	
45	—"—	—"—	—"—	नवाबांध	
46	—"—	—"—	—"—	माझापारा	
47	—"—	—"—	—"—	लक्ष्मीपुर	
48	—"—	—"—	—"—	सरईटिकरा	
49	—"—	—"—	केशवपुर—8	केशवपुर	

1	2	3	4	5	6
[illegible]	—"—	—"—	—"—	थोर	
51	—"—	—"—	—"—	साड़बार	
52	—"—	—"—	—"—	सुन्दरपुर	
53	—"—	—"—	—"—	हर्राटिकरा	
54	—"—	—"—	लब्जी—9	कोलडिहा	
55	—"—	—"—	—"—	बकिरमा	
56	—"—	—"—	—"—	बांकीपुर	
57	—"—	—"—	—"—	रनपुरकला	
58	—"—	—"—	—"—	लब्जी	
59	—"—	—"—	सुखरी—10	कालापारा	
60	—"—	—"—	—"—	धनगवां	
61	—"—	—"—	—"—	फत्तेपुर	
62	—"—	—"—	—"—	सुखरी	
63	—"—	—"—	—"—	सपना	
64	—"—	—"—	—"—	सोनपुरखुर्द	
65	—"—	—"—	मेण्ड्राकला—11	उदयपुरढ़ाप	
66	—"—	—"—	—"—	कृष्णापुर	
67	—"—	—"—	—"—	मुड़ेसा	
68	—"—	—"—	—"—	मेण्ड्राकला	
69	—"—	—"—	भिट्टीकला—12	जोगीबांध	
70	—"—	—"—	—"—	झुमरपारा	
71	—"—	—"—	—"—	भिट्टीकला	
72	—"—	—"—	—"—	रामपुर	
73	—"—	—"—	बरढ़ोढी—13	इन्द्रपुर	
74	—"—	—"—	—"—	केराकछार	
75	—"—	—"—	—"—	पोंड़ीखुर्द	
76	—"—	—"—	—"—	परसोड़ीखुर्द	
77	—"—	—"—	—"—	बकमेर	
78	—"—	—"—	—"—	बरढ़ोढी	

1	2	3	4	5	6
79	—"—	दरिमा	शिवपुर—14	बरटिकरा	
80	—"—	—"—	—"—	शिवपुर	
81	—"—	—"—	—"—	हरिहरपुर	
82	—"—	—"—	छिंदकालो—15	कोटेया	
83	—"—	—"—	—"—	छिंदकालो	
84	—"—	—"—	—"—	दरिमा	
85	—"—	—"—	सोहगा—16	सोहगा	
86	—"—	—"—	—"—	लिबरा	
87	—"—	—"—	करजी—17	कतकालो	
88	—"—	—"—	—"—	करजी	
89	—"—	—"—	कंठी—18	कंठी	
90	—"—	—"—	—"—	पचपेड़ी	
91	—"—	—"—	—"—	मनीपुर	
92	—"—	—"—	बकालो—19	खाला	
93	—"—	—"—	—"—	बकालो	
94	—"—	—"—	सखौली—20	सखौली	
95	—"—	—"—	—"—	आमादरहा	
96	—"—	—"—	—"—	बरकेला	
97	—"—	—"—	—"—	कुबेरपुर	
98	—"—	—"—	लवईडीह—21	पोड़ीपा	
99	—"—	—"—	—"—	रेवापुर	
100	—"—	—"—	—"—	लवईडीह	
101	—"—	—"—	—"—	मोहनपुर	
102	—"—	—"—	—"—	तिहपटरा	
103	—"—	—"—	पोड़ीकला—22	कर्रा	
104	—"—	—"—	—"—	पोड़ीकला	
105	—"—	—"—	—"—	महेशपुर	
106	—"—	—"—	टपरकेला—23	सोनवर्षा	
107	—"—	—"—	—"—	टपरकेला	

1	2	3	4	5	6
108	—"—	—"—	—"—	अड़ची	
109	—"—	—"—	करैया—24	करैया	
110	—"—	—"—	—"—	कुलगसा	
111	—"—	—"—	ससकालो—25	ससकालो	
112	—"—	—"—	—"—	नवगई	
113	—"—	—"—	—"—	महुवाटिकरा	
114	—"—	—"—	—"—	किशुनपुर	
115	—"—	—"—	नावानगर—26	कल्याणपुर	
116	—"—	—"—	—"—	कुनियाकला	
117	—"—	—"—	—"—	कुमरता	
118	—"—	—"—	—"—	खजुरी	
119	—"—	—"—	—"—	नावानगर	
120	—"—	—"—	—"—	नावापाराकला	
121	—"—	—"—	—"—	पंपापुर	
122	—"—	—"—	—"—	रकेली	
123	—"—	—"—	बरगवां—27	भालूकछार	
124	—"—	—"—	—"—	मोतीपुर	
125	—"—	—"—	—"—	नावापाराखुर्द	
126	—"—	—"—	—"—	बरगवां	
127	—"—	—"—	—"—	परसापाली	
128	—"—	—"—	—"—	बरगई	
129	—"—	—"—	बड़ादमाली—28	नानदमाली	
130	—"—	—"—	—"—	बड़ादमाली	
131	—"—	लखनपुर	कुसू—29	कुसू	
132	—"—	—"—	—"—	जमगवां	
133	—"—	—"—	प्रतापपुर—30	गोरेयापिपर	
134	—"—	—"—	—"—	धनौरा	
135	—"—	—"—	—"—	पुटा	
136	—"—	—"—	—"—	प्रतापपुर	

1	2	3	4	5	6
137	—"—	—"—	कटिंदा—31	कटिंदा	
138	—"—	—"—	—"—	रम्हला	
139	—"—	—"—	—"—	लोसंगा	
140	—"—	—"—	—"—	लोसंगी	
141	—"—	—"—	सकरिया—32	सेलरा	
142	—"—	—"—	—"—	कोटबर्रा	
143	—"—	—"—	—"—	सकरिया	
144	—"—	—"—	—"—	लब्जी	
145	—"—	—"—	—"—	जामा	
146	—"—	—"—	पटकुरा—33	ड़ाड़केसरा	
147	—"—	—"—	—"—	ढोढाकेसरा	
148	—"—	—"—	—"—	बिनिया	
149	—"—	—"—	—"—	पटकुरा	
150	—"—	—"—	—"—	जिवलिया	
151	—"—	—"—	अरगोती—34	जमदरा	
152	—"—	—"—	—"—	कर्रइ	
153	—"—	—"—	—"—	तिरकेला	
154	—"—	—"—	—"—	अरगोती	
155	—"—	—"—	लिपिंगी—35	कुन्नी	
156	—"—	—"—	—"—	केनापारा	
157	—"—	—"—	—"—	तुंगा	
158	—"—	—"—	—"—	पोड़ी	
159	—"—	—"—	—"—	लिपिंगी	
160	—"—	—"—	माजा—36	चोड़िया	
161	—"—	—"—	—"—	तुरगा	
162	—"—	—"—	—"—	माजा	
163	—"—	—"—	अमगसी—37	अमगसी	
164	—"—	—"—	—"—	जुडवानी	
165	—"—	—"—	—"—	नरकालो	

1	2	3	4	5	6
166	—"—	—"—	—"—	बनखेता	
167	—"—	—"—	कुंवरपुर—38	कुंवरपुर	
168	—"—	—"—	—"—	चुहकनडांड	
169	—"—	—"—	—"—	हंसडांड़	
170	—"—	—"—	लखनपुर—39	कोसंगा	
171	—"—	—"—	—"—	जुनाडीह	
172	—"—	—"—	—"—	जुनालखनपुर	
173	—"—	—"—	—"—	बंधा	
174	—"—	—"—	—"—	भंरतपुर	
175	—"—	—"—	—"—	लखनपुर	
176	—"—	—"—	—"—	शिवपुर	
177	—"—	—"—	बेलदगी—40	अमदला	
178	—"—	—"—	—"—	अलगा	
179	—"—	—"—	—"—	चान्दो	
180	—"—	—"—	—"—	तुनगुरी	
181	—"—	—"—	—"—	तुरना	
182	—"—	—"—	—"—	बेलदगी	
183	—"—	—"—	—"—	सोयदा	
184	—"—	—"—	केवरा—41	केवरा	
185	—"—	—"—	—"—	केवरी	
186	—"—	—"—	—"—	टपरकेलाखुर्द	
187	—"—	—"—	—"—	रजपुरीकला	
188	—"—	—"—	—"—	सिरकोंतंगा	
189	—"—	—"—	अमलभिट्टी—42	अमलभिट्टी	
190	—"—	—"—	—"—	इरगवां	
191	—"—	—"—	—"—	जयपुर	
192	—"—	—"—	—"—	पर्री	
193	—"—	—"—	—"—	बेलखरिका	
194	—"—	—"—	—"—	मझगवां	

1	2	3	4	5	6
195	—"—	—"—	—"—	मलगवांकला	
196	—"—	—"—	—"—	मुकुन्दपुर	
197	—"—	—"—	सलका—43	पलगढ़ी	
198	—"—	—"—	—"—	सलका	
199	—"—	—"—	—"—	सिंगीटाना	
200	—"—	—"—	—"—	अमेरा	
201	—"—	—"—	लहपटरा—44	पीपरखार	
202	—"—	—"—	—"—	पुहपुटरा	
203	—"—	—"—	—"—	लहपटरा	
204	—"—	—"—	कोरजा—45	कोरजा	
205	—"—	—"—	—"—	गणेशपुर	
206	—"—	—"—	—"—	गोरता	
207	—"—	—"—	—"—	जनकपुर	
208	—"—	—"—	—"—	जोधपुर	
209	—"—	—"—	—"—	बिनकरा	
210	—"—	—"—	अंधला—46	अंधला	
211	—"—	—"—	—"—	उमरौली	
212	—"—	—"—	—"—	कंचनपुर	
213	—"—	—"—	—"—	जयपुर	
214	—"—	—"—	जमगला—47	जमगला	
215	—"—	—"—	—"—	तराज़ू	
216	—"—	—"—	—"—	रामपुर	
217	—"—	—"—	—"—	लटोरी	
218	—"—	—"—	कटकोना—48	कटकोना	
219	—"—	—"—	—"—	गुमगराकला	
220	—"—	—"—	—"—	गुमगराखुर्द	
221	—"—	—"—	—"—	परसोढ़ीकला	
222	—"—	—"—	—"—	बगदर्री	
223	—"—	—"—	खुटिया—49	खुटिया	

1	2	3	4	5	6
224	—"—	—"—	—"—	गेतरा	
225	—"—	—"—	—"—	निमहा	
226	—"—	—"—	—"—	पथरी	
227	—"—	—"—	—"—	पोतका	
228	—"—	—"—	—"—	मुटकी	
229	—"—	—"—	—"—	लैंगा	
230	—"—	उदयपुर	कलचा—50	कलचा	
231	—"—	—"—	—"—	जामडीह	
232	—"—	—"—	—"—	तोलगा	
233	—"—	—"—	—"—	देवटिकरा	
234	—"—	—"—	—"—	भदवाही	
235	—"—	—"—	—"—	रकेली	
236	—"—	—"—	—"—	हनुमानगढ़	
237	—"—	—"—	करौंदी—51	करौंदी	
238	—"—	—"—	—"—	धुचापुर	
239	—"—	—"—	—"—	नमनाकुर्द	
240	—"—	—"—	—"—	ललाती	
241	—"—	—"—	—"—	शंकरपुर	
242	—"—	—"—	खम्हरिया—52	खम्हरिया	
243	—"—	—"—	—"—	नुनेरा	
244	—"—	—"—	—"—	रिखी	
245	—"—	—"—	सलका—53	केशगवां	
246	—"—	—"—	—"—	खोडरी	
247	—"—	—"—	—"—	जरहाडीह	
248	—"—	—"—	—"—	पलका	
249	—"—	—"—	—"—	रजबंधा	
250	—"—	—"—	—"—	सलका	
251	—"—	—"—	—"—	सरगवां	
252	—"—	—"—	जजगा—54	कवंलगिरि	

1	2	3	4	5	6
253	—"—	—"—	—"—	चैनपुर	
254	—"—	—"—	—"—	जजगा	
255	—"—	—"—	—"—	महेशपुर	
256	—"—	—"—	—"—	मानपुर	
257	—"—	—"—	—"—	मोहनपुर	
258	—"—	—"—	—"—	लक्ष्मणगढ़	
259	—"—	—"—	—"—	रानीबर्री	
260	—"—	—"—	उदयपुर --55	उदयपुर	
261	—"—	—"—	—"—	झिरमिटी	
262	—"—	—"—	—"—	डुमरडीह	
263	—"—	—"—	—"—	पुटा	
264	—"—	—"—	—"—	फुनगी	
265	—"—	—"—	—"—	रामनगर	
266	—"—	—"—	सोनतराई--56	कोटमी	
267	—"—	—"—	—"—	खरसुरा	
268	—"—	—"—	—"—	खोन्धला	
269	—"—	—"—	—"—	डोई	
270	—"—	—"—	—"—	दावा	
271	—"—	—"—	—"—	पंडरीपानी	
272	—"—	—"—	—"—	फुलचुही	
273	—"—	—"—	—"—	विशुनपुर	
274	—"—	—"—	—"—	मोहनपुर	
275	—"—	—"—	—"—	सोनतराई	
276	—"—	—"—	डांडगांव–57	कलमुण्डा	
277	—"—	—"—	—"—	गुमगा	
278	—"—	—"—	—"—	डांडगांव	
279	—"—	—"—	—"—	दौलतपुर	
280	—"—	—"—	—"—	नारायणपुर	
281	—"—	—"—	—"—	पंडरीडांड	

1	2	3	4	5	6
282	—"—	—"—	—"—	बंगरु	
283	—"—	—"—	—"—	भण्डारगांव	
284	—"—	—"—	—"—	मुड़गांव	
285	—"—	—"—	—"—	सलका	
286	—"—	—"—	परसा—58	बासेन	
287	—"—	—"—	—"—	साल्ही	
288	—"—	—"—	—"—	हरिहरपुर	
289	—"—	—"—	—"—	परसा	
290	—"—	—"—	घांटबर्रा—59	फत्तेपुर	
291	—"—	—"—	—"—	परोगिया	
292	—"—	—"—	—"—	केते	
293	—"—	—"—	—"—	घाटबर्रा	
294	—"—	—"—	—"—	सुसकम	
295	—"—	—"—	—"—	सैदू	
296	—"—	—"—	चकेरी—60	चकेरी	
297	—"—	—"—	—"—	तेन्दूटिकरा	
298	—"—	—"—	—"—	सरमा	
299	—"—	—"—	—"—	सुखरीभण्डार	
300	—"—	—"—	पेंडरखी—61	खुझी	
301	—"—	—"—	—"—	पहाड़कोरजा	
302	—"—	—"—	—"—	पेंडरखी	
303	—"—	—"—	—"—	बकोई	
304	—"—	—"—	सायर—62	कुमडेवा	
305	—"—	—"—	—"—	सायर	
306	—"—	—"—	—"—	लालपुर	
307	—"—	—"—	केदमा—63	पनगोती	
308	—"—	—"—	—"—	बड़ेगांव	
309	—"—	—"—	—"—	बुले	
310	—"—	—"—	—"—	भकुरमा	

1	2	3	4	5	6
311	—"—	—"—	—"—	मतरिंगा	
312	—"—	—"—	—"—	केदमा	
313	—"—	—"—	केशमा—64	कुड़ेली	
314	—"—	—"—	—"—	केशमा	
315	—"—	—"—	—"—	मरैया	
316	—"—	—"—	—"—	सितकालो	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	धौरपुर	धौरपुर	पडौली—1	चंगोरी	
2	—"—	—"—	—"—	चन्द्रेश्वरपुर	
3	—"—	—"—	—"—	पडौली	
4	—"—	—"—	—"—	डुमकी	
5	—"—	—"—	कर्रा—2	अमड़ी	
6	—"—	—"—	—"—	कर्रा	
7	—"—	—"—	—"—	किशुनपुर	
8	—"—	—"—	बिल्हमा—3	बबौली	
9	—"—	—"—	—"—	बिल्हमा	
10	—"—	—"—	—"—	जमोनी	
11	—"—	—"—	जोरी—4	जोरी	
12	—"—	—"—	—"—	आसानडीह	
13	—"—	—"—	—"—	रघुपुर	
14	—"—	—"—	कुदर—5	धौरपुर	
15	—"—	—"—	—"—	मसगा	
16	—"—	—"—	—"—	भेलाईकला	
17	—"—	—"—	—"—	कुदर	
18	—"—	—"—	करौली—6	दुन्दू	
19	—"—	—"—	—"—	सराईडीहा	

1	2	3	4	5	6
20	—"—	—"—	—"—	करौली	
21	—"—	—"—	छेरमुण्डा—7	छेरमुण्डा	
22	—"—	—"—	—"—	दिवरी	
23	—"—	—"—	—"—	ककनी	
24	—"—	—"—	—"—	कछार	
25	—"—	—"—	—"—	नवड़ीहा	
26	—"—	—"—	डुमरडीह—8	डुमरडीह	
27	—"—	—"—	—"—	रतई	
28	—"—	—"—	चितरपुर—9	चितरपुर	
29	—"—	—"—	—"—	भेड़िया	
30	—"—	—"—	—"—	सपड़ा	
31	—"—	—"—	चलगली—10	कोईलारी	
32	—"—	—"—	—"—	किरकिमा	
33	—"—	—"—	—"—	चलगली	
34	—"—	—"—	—"—	गंगोली	
35	—"—	—"—	—"—	घघरी	
36	—"—	—"—	नागम—11	नागम	
37	—"—	—"—	—"—	गुजरवार	
38	—"—	—"—	—"—	पसेना	
39	—"—	—"—	—"—	रीरी	
40	—"—	—"—	—"—	उरदरा	
41	—"—	—"—	—"—	कोरंधा	
42	—"—	—"—	पटोरा—12	सहनपुर	
43	—"—	—"—	—"—	अगासी	
44	—"—	—"—	—"—	पटोरा	
45	—"—	—"—	सखौली—13	बतौली	
46	—"—	—"—	—"—	खुरनडीह	
47	—"—	—"—	—"—	जमीरा	

1	2	3	4	5	6
48	—"—	—"—	—"—	सखौली	
49	—"—	—"—	कुन्दीकला—14	करगीडीह	
50	—"—	—"—	—"—	कुन्दीकला	
51	—"—	—"—	—"—	चलगली	
52	—"—	—"—	—"—	बकनाकला	
53	—"—	—"—	—"—	बकेला	
54	—"—	—"—	—"—	बदगरी	
55	—"—	—"—	—"—	सेमरडीह	
56	—"—	लुण्ड्रा	डकई—15	अजिरमाकला	
57	—"—	—"—	—"—	करदोनी	
58	—"—	—"—	—"—	केपी	
59	—"—	—"—	—"—	कोरिमा	
60	—"—	—"—	—"—	जमड़ी	
61	—"—	—"—	—"—	डकई	
62	—"—	—"—	—"—	बांसा	
63	—"—	—"—	—"—	राता	
64	—"—	—"—	बटवाही—16	गंजहाडांड़	
65	—"—	—"—	—"—	दर्रीडीह	
66	—"—	—"—	—"—	बटवाही	
67	—"—	—"—	—"—	रघुनाथपुर	
68	—"—	—"—	—"—	लालमाटी	
69	—"—	—"—	—"—	सिकिलिमा	
70	—"—	—"—	—"—	सुमेरपुर	
71	—"—	—"—	कोट—17	उँचडीह	
72	—"—	—"—	—"—	कोट	
73	—"—	—"—	—"—	गंगापुर	
74	—"—	—"—	—"—	पुरकेला	
75	—"—	—"—	—"—	सायरराई	

1	2	3	4	5	6
76	—"—	—"—	लमगांव—18	असकला	
77	—"—	—"—	—"—	लमगांव	
78	—"—	—"—	—"—	सिलसिला	
79	—"—	—"—	बुलंगा—19	उंदारी	
80	—"—	—"—	—"—	चोरकीडीह	
81	—"—	—"—	—"—	जरहाडीह	
82	—"—	—"—	—"—	बुलंगा	
83	—"—	—"—	बरडीह—20	सपरपोंडी	
84	—"—	—"—	—"—	खालपोंडी	
85	—"—	—"—	—"—	चिरंगा	
86	—"—	—"—	—"—	डांडगांव	
87	—"—	—"—	—"—	बरकोल	
88	—"—	—"—	—"—	बरडीह	
89	—"—	—"—	लुण्ड्रा—21	आमगांव	
90	—"—	—"—	—"—	करेसर	
91	—"—	—"—	—"—	करांकी	
92	—"—	—"—	—"—	डहोली	
93	—"—	—"—	—"—	बहेराडीह	
94	—"—	—"—	—"—	लुण्ड्रा	
95	—"—	—"—	—"—	ससौली	
96	—"—	—"—	बरगीडीह—22	गढ़तीरा	
97	—"—	—"—	—"—	झेराडीह	
98	—"—	—"—	—"—	तुरियाटीरा	
99	—"—	—"—	—"—	दोरना	
100	—"—	—"—	—"—	पतराडीह	
101	—"—	—"—	—"—	पार्वतीपुर	
102	—"—	—"—	—"—	बरगीडीह	
103	—"—	—"—	—"—	महोरा	

1	2	3	4	5	6
104	—"—	—"—	खराकोना—23	कुदर	
105	—"—	—"—	—"—	गाजरमुड़ा	
106	—"—	—"—	—"—	गेरसा	
107	—"—	—"—	—"—	जामडीह	
108	—"—	—"—	—"—	जाराकेला	
109	—"—	—"—	—"—	बरौली	
110	—"—	—"—	—"—	राईकला	
111	—"—	—"—	—"—	राईखुर्द	
112	—"—	—"—	—"—	खराकोना	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील राजपुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्रमांक	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राजपुर	राजपुर	करमडीहा—1	करमडीहा	
2	—"—	—"—		कोदौरा	
3	—"—	—"—	पकराड़ी—2	तोंनी	
4	—"—	—"—		कोटडीह	
5	—"—	—"—		भेण्ड्री	
6	—"—	—"—		पकराड़ी	
7	—"—	—"—		परसवारखुर्द	
8	—"—	—"—	गोपालपुर—3	मुरका	
9	—"—	—"—		गोपालपुर	
10	—"—	—"—	ठरकी—4	करवां	
11	—"—	—"—		कुन्दीखुर्द	
12	—"—	—"—		मुनगा	
13	—"—	—"—		ठरकी	
14	—"—	—"—	सिंगचोरा—5	सिंगचोरा	
15	—"—	—"—		नवकी	
16	—"—	—"—		बगाड़ी	
17	—"—	—"—	जिगड़ी—6	अलखडीहा	
18	—"—	—"—		उफिया	
19	—"—	—"—		उलिया	
20	—"—	—"—		कवडु	
21	—"—	—"—		जिगड़ी	
22	—"—	—"—		परती	
23	—"—	—"—		बाड़ीचलगली	
24	—"—	—"—		बासेन	

25	—"—	—"—		महुआडांड़	
26	—"—	—"—		माकड़	
27	—"—	—"—		जलदुड़	
28	—"—	—"—	कोटागहना--7	करी	
29	—"—	—"—		कोटागहना	
30	—"—	—"—		घोरपठी	
31	—"—	—"—		डिंगी	
32	—"—	—"—		डालखडुआ	
33	—"—	—"—		पतरातू	
34	—"—	—"—		पहाड़खडुआ	
35	—"—	—"—		पेण्डारी	
36	—"—	—"—		बैढ़ी	
37	—"—	—"—		भदार	
38	—"—	—"—		लाउ	
39	—"—	—"—		सेवारी	
40	—"—	—"—	राजपुर–8	चटकपुर	
41	—"—	—"—		नावापारा	
42	—"—	—"—		बतरूपुर	
43	—"—	—"—		बुढ़ाबगीचा	
44	—"—	—"—		महुआपारा	
45	—"—	—"—		राजपुर	
46	—"—	—"—		लडुवा	
47	—"—	—"—		सेमरा	
48	—"—		परसागुड़ी–9	अमदरी	
49	—"—	—"—		ओंकरा	
50	—"—	—"—		करंजी	
51	—"—	—"—		कोरगी	
52	—"—	—"—		खुनरी	
53	—"—	—"—		चन्द्रगढ़	
54	—"—	—"—		डिगनगर	
55	—"—	—"—		पतरापारा	
56	—"—	—"—		परसागुड़ी	
57	—"—	—"—	परसवारकला–10	चौरा	
58	—"—	—"—		चिलमाकला	
59	—"—	—"—		जमुनिया	
60	—"—	—"—		दुप्पी	

61	—"—	—"—		नरसिंहपुर	
62	—"—	—"—		परसगारकला	
63	—"—	—"—		मरकाडांड़	
64	—"—	—"—	धन्धापुर—11	खोखनिगा	
65	—"—	—"—		धन्धापुर	
66	—"—	—"—		रजतपुर	
67	—"—	—"—		शिवपुर	
68	—"—	—"—	बदोली—12	अखोराखुर्द	
69	—"—	—"—		कुन्दीकला	
70	—"—	—"—		खोंड़रो	
71	—"—	—"—		बदोली	
72	—"—	—"—		सिधमा	
73	—"—	—"—	बधिमा—13	खुखरी	
74	—"—	—"—		चांची	
75	—"—	—"—		डकवा	
76	—"—	—"—		बधिमा	
77	—"—	—"—		बाटीडांड़	
78	—"—	—"—	बरियों—14	ककना	
79	—"—	—"—		बरियों	
80	—"—	—"—		बादा	
81	—"—	—"—		भेलईखुर्द	
82	—"—	—"—		भिरकी	
83	—"—	—"—		मदनेश्वरपुर	
84	—"—	—"—	आरा—15	अमड़ीपारा	
85	—"—	—"—		आरा	
86	—"—	—"—		घटगांव	
87	—"—	—"—		बलरामपुर	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील सीतापुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा0नि0मं0 का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सीतापुर	बतौली	गहिला—1	बेलकोटा	
2	—"—	—"—	—"—	गहिला	
3	—"—	—"—	झारगवां—2	झारगवां	
4	—"—	—"—	—"—	माजा	
5	—"—	—"—	—"—	उमापुर	
6	—"—	—"—	—"—	कालीपुर	
7	—"—	—"—	बतौली—3	बतौली	
8	—"—	—"—	—"—	देवरी	
9	—"—	—"—	मानपुर—4	टेड़गा	
10	—"—	—"—	—"—	मानपुर	
11	—"—	—"—	—"—	शिवपुर	
12	—"—	—"—	बिलासपुर—5	बिलासपुर	
13	—"—	—"—	—"—	जरहाडीह	
14	—"—	—"—	—"—	तरागी	
15	—"—	—"—	घोघरा—6	सलेयाडीह	
16	—"—	—"—	—"—	घोघरा	
17	—"—	—"—	—"—	कछारडीह	
18	—"—	—"—	—"—	कुड़केल	
19	—"—	—"—	बासांझाल—7	टीरंग	

1	2	3	4	5	6
[illegible]	—"—	—"—	—"—	बासांझाल	
21	—"—	—"—	—"—	चंवरपानी	
22	—"—	—"—	बोंदा—8	बोंदा	
23	—"—	—"—	—"—	धुटरापारा	
24	—"—	—"—	सरमना—9	सरमना	
25	—"—	—"—	—"—	ललाती	
26	—"—	—"—	महेशपुर—10	विरीमकेला	
27	—"—	—"—	—"—	महेशपुर	
28	—"—	—"—	—"—	बैजनाथपुर	
29	—"—	—"—	—"—	नयाबांध	
30	—"—	—"—	बटईकेला—11	नकना	
31	—"—	—"—	—"—	बटईकेला	
32	—"—	—"—	तेलईधार—12	तेलईधार	
33	—"—	—"—	—"—	बिशुनपुर	
34	—"—	—"—	कपाटबहरी—13	कपाटबहरी	
35	—"—	—"—	—"—	बालमपुर	
36	—"—	—"—	—"—	डूमरभवना	
37	—"—	—"—	मंगारी—14	मंगारी	
38	—"—	—"—	—"—	पोकसरी	
39	—"—	—"—	—"—	रतनपुर	
40	—"—	—"—	चिपरकाया—15	सुआरपुरा	
41	—"—	—"—	—"—	चिपरकाया	
42	—"—	—"—	सेदम—16	सेदम	
43	—"—	—"—	—"—	गोविन्दपुर	
44	—"—	—"—	—"—	बासेन	
45	—"—	—"—	—"—	सरस्वतीपुर	
46	—"—	—"—	कुनकुरीकला—17	सेलमा	
47	—"—	—"—	—"—	कुनकुरीकला	
48	—"—	—"—	—"—	पथरई	

1	2	3	4	5	6
[illegible]	—"—	—"—	—"—	पोपरेंगा	
50	—"—	—"—	चिरंगा—18	खडधुवा	
51	—"—	—"—	—"—	चिरंगा	
52	—"—	—"—	—"—	भटको	
53	—"—	—"—	—"—	करदना	
54	—"—	—"—	—"—	लैगू	
55	—"—	मैनपाट	आमगांव—19	कदनई	
56	—"—	—"—	—"—	आमगांव	
57	—"—	—"—	—"—	समनिया	
58	—"—	—"—	सुपलगा—20	करमहा	
59	—"—	—"—	—"—	बिसरपानी	
60	—"—	—"—	—"—	सुपलगा	
61	—"—	—"—	असगावां—21	पैगा	
62	—"—	—"—	—"—	असगावां	
63	—"—	—"—	—"—	लुरैना	
64	—"—	—"—	सरभंजा—22	परपटिया	
65	—"—	—"—	—"—	सरभंजा	
66	—"—	—"—	—"—	ललैया	
67	—"—	—"—	कमलेश्वरपुर—23	कमलेश्वरपुर	
68	—"—	—"—	—"—	कुदारीडीह	
69	—"—	—"—	—"—	केसरा	
70	—"—	—"—	—"—	पथरई	
71	—"—	—"—	रुपाखार—24	रुपाखार	
72	—"—	—"—	—"—	सपनादर	
73	—"—	—"—	—"—	कलजीवा	
74	—"—	—"—	कुनिया—25	कुनिया	
75	—"—	—"—	—"—	बरीमा	
76	—"—	—"—	—"—	उरगा	
77	—"—	—"—	—"—	असकरा	

1	2	3	4	5	6
78	—"—	—"—	नर्बदापुर—26	नर्बदापुर	
79	—"—	—"—	—"—	कड़राजा	
80	—"—	—"—	बंदना—27	बंदना	
81	—"—	—"—	—"—	उडुमकेला	
82	—"—	—"—	कोट—28	कोट	
83	—"—	—"—	काराबेल—29	काराबेल	
84	—"—	—"—	—"—	जजगा	
85	—"—	—"—	खड़गांव—30	चैनपुर	
86	—"—	—"—	—"—	रजखेता	
87	—"—	—"—	—"—	खड़गांव	
88	—"—	—"—	—"—	कतकालो	
89	—"—	—"—	पिडिया—31	चीड़ापारा	
90	—"—	—"—	—"—	महारानीपुर	
91	—"—	—"—	पेंट—32	पिडिया	
92	—"—	—"—	—"—	पेंट	
93	—"—	—"—	—"—	कुनकुरीखुर्द	
94	—"—	—"—	राजापुर—33	डांगबुड़ा	
95	—"—	—"—	—"—	राजापुर	
96	—"—	—"—	—"—	सलाईनगर	
97	—"—	—"—	जामढ़ोढ़ी—34	जामढ़ोढ़ी	
98	—"—	—"—	हर्रामार—35	हर्रामार	
99	—"—	—"—	—"—	कोटछाल	
100	—"—	—"—	—"—	जामकानी	
101	—"—	सीतापुर	गुतुरमा—36	गुतुरमा	
102	—"—	—"—	—"—	लिचिरमा	
103	—"—	—"—	उलकिया—37	उलकिया	
104	—"—	—"—	—"—	बेलगांव	
105	—"—	—"—	प्रतापगढ़—38	प्रतापगढ़	
106	—"—	—"—	—"—	राधापुर	

1	2	3	4	5	6
107	—"—	—"—	—"—	हर्राटिकरा	
108	—"—	—"—	आरा–39	आरा	
109	—"—	—"—	—"—	बनेया	
110	—"—	—"—	—"—	बंशीपुर	
111	—"—	—"—	—"—	हरदीसांड़	
112	—"—	—"—	—"—	जामझरिया	
113	—"—	—"—	—"—	तेन्दूडांड़	
114	—"—	—"—	सीतापुर–40	सीतापुर	
115	—"—	—"—	—"—	केसला	
116	—"—	—"—	सूर–41	चलता	
117	—"—	—"—	—"—	भिठुवा	
118	—"—	—"—	—"—	सूर	
119	—"—	—"—	देवगढ़–42	देवगढ़	
120	—"—	—"—	—"—	बमलया	
121	—"—	—"—	सोनतराई–43	ढ़ेलसरा	
122	—"—	—"—	—"—	भंवराड़ांड़	
123	—"—	—"—	—"—	सोनतराई	
124	—"—	—"—	—"—	आमाटोली	
125	—"—	—"—	भुसू–44	भुसू	
126	—"—	—"—	—"—	रायकेरा	
127	—"—	—"—	—"—	परसा	
128	—"—	—"—	रजपुरी–45	ढ़ेकीडोली	
129	—"—	—"—	—"—	रजपुरी	
130	—"—	—"—	—"—	सहनपुर	
131	—"—	—"—	—"—	बगडोली	
132	—"—	—"—	मुरता–46	एरण्ड	
133	—"—	—"—	—"—	खाड़ादोरना	
134	—"—	—"—	—"—	नावापारा	
135	—"—	—"—	—"—	मुरता	

1	2	3	4	5	6
136	—"—	—"—	—"—	लंगड़ासांड़	
137	—"—	—"—	गिरहुलडीह–47	गिरहुलडीह	
138	—"—	—"—	—"—	बेनई	
139	—"—	—"—	—"—	भरतपुर	
140	—"—	—"—	बेलजोरा–48	धरमपुर	
141	—"—	—"—	—"—	बेलजोरा	
142	—"—	—"—	—"—	ललितपुर	
143	—"—	—"—	—"—	सुरेशपुर	
144	—"—	—"—	सरगा–49	गेरसा	
145	—"—	—"—	—"—	सरगा	
146	—"—	—"—	—"—	शिवनाथपुर	
147	"—	—"—	पेटला–50	पेटला	
148	—"—	—"—	—"—	रजौटी	
149	—"—	—"—	कुनमेरा–51	कुनमेरा	
150	—"—	—"—	—"—	केरजू	
151	—"—	—"—	—"—	ढोढ़ागांव	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील सूरजपुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्रमांक	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4		
1	सूरजपुर	ओड़गी	नवाटोला –1	नवाटोला	
2	–"–	–"–		सपहा	
3	–"–	–"–		हाथीचुवां	
4	–"–	–"–	नवगई–2	नवगई	
5	–"–	–"–		कुबेरपुर	
6	–"–	–"–		खालबहरा	
7	–"–	–"–	बिहारपुर–3	बिहारपुर	
8	–"–	–"–		उमापुर	
9	–"–	–"–		बेगारीडांड़	
10	–"–	–"–	महुली–4	महुली	
11	–"–	–"–		कोल्हुआ	
12	–"–	–"–		अवंतिकापुर	
13	–"–	–"–	खोहिर–5	खोहिर	
14	–"–	–"–		लुल्ह	
15	–"–	–"–		रामगढ़	
16	–"–	–"–		कछवाही	
17	–"–	–"–		तेलाईपाठ	
18	सूरजपुर	–"–	रसौकी–6	उमझर	
19	–"–	–"–		रसौकी	
20	–"–	–"–		जुड़वानिया	
21	–"–	–"–		मोहरसोप	

22	—"—	—"—		बसनारा	
23	—"—	—"—	खैरा—7	खैरा	
24	—"—	—"—		कछिया	
25	—"—	—"—		नवडीहा	
26	—"—	—"—		पड़वारी	
27	—"—	—"—	पेण्डारी—8	पेण्डारी	
28	—"—	—"—		करौटी	
29	—"—	—"—		चोंगा	
30	—"—	—"—		परसा	
31	—"—	—"—	ठाढ़पाथर—9	ठाढ़पाथर	
32	—"—	—"—		सेमरा	
33	—"—	—"—		कांतिपुर	
34	—"—	—"—	पासल—10	पासल	
35	—"—	—"—		विशालपुर	
36	—"—	—"—		देवढ़ी	
37	—"—	—"—	खोड़—11	खोड़	
38	—"—	—"—		केंसर	
39	—"—	—"—		छीतोलीबीजो	
40	—"—	—"—	टमकी—12	टमकी	
41	सूरजपुर	—"—		इंजानी	
42	—"—	—"—	बेदमी—13	बेदमी	
43	—"—	—"—		करवा	
44	—"—	—"—		नवडीहाखुर्द	
45	—"—	—"—	बांक—14	बांक	
46	—"—	—"—		असूरा	
47	—"—	—"—		हरिहरपुर	
48	—"—	—"—		थरगी	
49	—"—	—"—		कैलाशनगर	
50	—"—	—"—		जोल्हा	
51	—"—	—"—	छतरंग—15	छतरंग	
52	—"—	—"—		वनगवां	
53	—"—	—"—		पालकेवरा	
54	—"—	—"—		बड़वार	
55	—"—	—"—	घुर—16	घुईडीह	

56	—"—	—"—		बांकी	
57	—"—	—"—		वेलामी	
58	—"—	—"—		घुर	
59	—"—	—"—		तभना	
60	—"—	—"—		कुदरगढ़	
61	—"—	—"—		खोहिरपारा	
62	—"—	—"—	खर्रा—17	खर्रा	
63	—"—	—"—		पालदनौली	
64	सूरजपुर	—"—	कुप्पा—18	कुप्पा	
65	—"—	—"—		गंगोत्री	
66	—"—	—"—		मसनकी	
67	—"—	—"—	लांजीत—19	लांजीत	
68	—"—	—"—		मगुरधक्की	
69	—"—	—"—		पुतकी	
70	—"—	—"—		सौहार	
71	—"—	—"—		चिकनीं	
72	—"—	—"—	रैसरा—20	खड़ौली	
73	—"—	—"—		रैसरा	
74	—"—	—"—	रैसरी—21	पकनी	
75	—"—	—"—		डांड़अमोरनी	
76	—"—	—"—		रैसरी	
77	—"—	—"—	चेन्द्रा—22	चेन्द्रा	
78	—"—	—"—		जाज	
79	—"—	—"—	दवनसरा—23	दवनसरा	
80	—"—	—"—		टोमो	
81	—"—	—"—		टोटको	
82	—"—	—"—		सराईडीह	
83	—"—	—"—	करौटी—24	करौटी	
84	—"—	—"—		दवना	
85	—"—	—"—	भाड़ी—25	भाड़ी	
86	—"—	—"—		भकुर्रा	
87	सूरजपुर	ओड़गी		मड़ार	
88	—"—	—"—		बिलासपुर	
89	—"—	—"—	ओड़गी—26	ओड़गी	

90	–"–	–"–		कलामांजन	
91	–"–	–"–		गिरजापुर	
92	–"–	–"–	रामपुर–27	इन्दरपुर	
93	–"–	–"–		रामपुर	
94	–"–	–"–	चपदा–28	चपदा	
95	–"–	–"–		भवरखोह उर्फ शिवपुर	
96	–"–	–"–		आनन्दपुर	
97	–"–	–"–		कुप्पी	
98	–"–	–"–		गंगापुर	
99	–"–	–"–	घरसेड़ी–29	घरसेड़ी	
100	–"–	–"–		कर्री	
101	–"–	भैयाथान	बैजनाथपुर–30	बैजनाथपुर	
102	–"–	–"–		परसिया	
103	–"–	–"–	केवरा–31	ज़मड़ी	
104	–"–	–"–		धोसा	
105	–"–	–"–		रंजनी	
106	–"–	–"–		केवरा	
107	–"–	–"–	भैयाथान–32	भैयाथान	
108	–"–	–"–		पासल	
109	–"–	–"–		समौली	
110	सूरजपुर	–"–		लखनपुर	
111	–"–	–"–	पटियाडांड़–33	झिलमिली	
112	–"–	–"–		खैरी	
113	–"–	–"–		पटियाडांड़	
114	–"–	–"–		रजवहर	
115	–"–	–"–	दर्रीपारा–34	दर्रीपारा	
116	–"–	–"–		तरका	
117	–"–	–"–	खाड़ापारा–35	खाड़ापारा	
118	–"–	–"–		दनौलीखुर्द	
119	–"–	–"–		सांवारावा	
120	–"–	–"–		गोविन्दगढ़	
121	–"–	–"–	बड़सरा–36	बड़सरा	
122	–"–	–"–		बसकरपारा	
123	–"–	–"–		कुर्रीडीह	

124	—"—	—"—		राजौलीपारा	
125	—"—	—"—	सोनपुर—37	सोनपुर	
126	—"—	—"—		करौदामुडा	
127	—"—	—"—	भवराही—38	भवराही	
128	—"—	—"—		बांसापारा	
129	—"—	—"—	गंगौटी—39	गंगौटी	
130	—"—	—"—		डबरीपारा	
131	—"—	—"—		खुटरापारा	
132	—"—	—"—		जुर	
133	सूरजपुर	—"—		विरमताल	
134	—"—	—"—		नावापारा	
135	—"—	—"—		शिवप्रसादनगर	
136	—"—	—"—	मसिरा—40	सुन्दरपुर	
137	—"—	—"—		मसिरा	
138	—"—	—"—		चोपन	
139	—"—	—"—		रगदा	
140	—"—	—"—		सिरसी	
141	—"—	—"—		बंजा	
142	—"—	—"—		खडगवां	
143	—"—	—"—	कुसमुसी—41	करकोटी	
144	—"—	—"—		केनापारा	
145	—"—	—"—		कोईलारी	
146	—"—	—"—		कुसमुसी	
147	—"—	भटगांव	जगदीशपुर—42	कसकेला	
148	—"—	—"—		केंवटाली	
149	—"—	—"—		कोटेया	
150	—"—	—"—		जगदीशपुर	
151	—"—	—"—		टइया	
152	—"—	—"—		महुली	
153				चैनपुर	
154	—"—	—"—		मानपुर	
155	—"—	—"—		सत्यनगर	
156	सूरजपुर	भटगांव	खोपा—43	केनापारा	
157	—"—	—"—		खोपा	

158	—"—	—"—		धरतीपारा	
159	—"—	—"—		बरउल	
160	—"—	—"—	चुनगढ़ी—44	करकोलीनया	
161	—"—	—"—		चुनगढ़ी	
162	—"—	—"—		मलगा	
163	—"—	—"—	सलका—45	करकोलीजुना	
164	—"—	—"—		चन्दरपुर	
165	—"—	—"—		बैजनाथनगर	
166	—"—	—"—		सलका	
167	—"—	—"—	अनरोखा—46	अनरोखा	
168	—"—	—"—		नरकालो	
169	—"—	—"—		पोंडी	
170	—"—	—"—	चन्द्रमेढ़ा—47	कटिदा	
171	—"—	—"—		चन्द्रमेढ़ा	
172	—"—	—"—		पलमा	
173	—"—	—"—		पहाड़अमोरनी	
174	—"—	—"—		विरनीडांड़	
175	—"—	—"—	तेलगांव—48	कपसरा	
176	—"—	—"—		तेलगांव	
177	—"—	—"—		दुग्गा	
178	—"—	—"—		वरपारा	
179	सूरजपुर	भटगांव	भटगांव—49	बिशाही	
180	—"—	—"—		भटगांच	
181	—"—	—"—	बुदिया—50	डुमरिया	
182	—"—	—"—		धरमपुर	
183	—"—	—"—		बुदिया	
184	—"—	—"—		बरौंधी	
185	—"—	—"—	लक्ष्मीपुर—51	करसु	
186	—"—	—"—		राजकिशोरनगर	
187	—"—	—"—		लक्ष्मीपुर	
188	—"—	—"—		सुदामानगर	
189	—"—	—"—		सोनपुर	
190	—"—	—"—	बतरा—52	बतरा	
191	—"—	—"—		राई	

192	—"—	पिलखां	करवां—53	करवां	
193	—"—	—"—		गजाधरपुर	
194	—"—	—"—		गंगापुर	
195	—"—	—"—		जगतपुर	
196	—"—	—"—		बिहारपुर	
197	—"—	—"—	कल्याणपुर—54	अखोराकला	
198	—"—	—"—		कल्याणपुर	
199	—"—	—"—		छतरपुर	
200	—"—	—"—		पोड़िपा	
201	—"—	—"—		रामेश्वरपुर	
202	सूरजपुर	पिलखा	मजीरा—55	तुलसी	
203	—"—	—"—		पाठकपुर	
204	—"—	—"—		बृजनगर	
205	—"—	—"—		मजीरा	
206	—"—	—"—		मोहनपुर	
207	—"—	—"—		सुन्दरगंज	
208	—"—	—"—		हरिहरपुर	
209	—"—	—"—	लटोरी—56	अनुजनगर	
210	—"—	—"—		द्वारिकानगर	
211	—"—	—"—		रमेशपुर	
212	—"—	—"—		लटोरी	
213	—"—	—"—		सम्बलपुर	
214	—"—	—"—		सोनवाही	
215	—"—	—"—		हीराडबरी	
216	—"—	—"—	अजबनगर—57	अजबनगर	
217	—"—	—"—		अजिरमा	
218	—"—	—"—		आमगांव	
219	—"—	—"—		ठाकुरपुर	
220	—"—	—"—		नारायणपुर	
221	—"—	—"—		विशुनपुरखुर्द	
222	—"—	—"—		भगवानपुरखुर्द	
223	—"—	—"—		मदनपुर	
224	—"—	—"—		महाबीरपुर	
225	सूरजपुर	पिलखा	मोरभंज—58	मोरभंज	

226	—"—	—"—		रविन्द्रनगर	
227	—"—	—"—		संजयनगर	
228	—"—	—"—	कमलपुर—59	कमलपुर	
229	—"—	—"—		करतमा	
230	—"—	—"—		गणेशपुर	
231	—"—	—"—		गोपालपुर	
232	—"—	—"—		नयनपुर	
233	—"—	—"—		पांडोनगर	
234	—"—	—"—		पहाड़गांव	
235	—"—	—"—		पार्वतीपुर	
236	—"—	—"—		भगवानपुरकला	
237	—"—	—"—	सिलफिली—60	कनकपुर	
238	—"—	—"—		कसलगिरी	
239	—"—	—"—		जुड़वानी	
240	—"—	—"—		बलरामपुर	
241	—"—	—"—		बीरपुर	
242	—"—	—"—		महेशपुर	
243	—"—	—"—		शिवसागरपुर	
244	—"—	—"—		सिलफिली	
245	—"—	—"—	कसकेला—61	करमपुर	
246	—"—	—"—		कमलापुर	
247	—"—	—"—		कसकेला	
248	सूरजपुर	पिलखा	गोविन्दपुर—62	कुमदा	
249	—"—	—"—		गोविन्दपुर	
250	—"—	—"—		गंगीकोट	
251	—"—	—"—		लक्ष्मणपुर	
252	—"—	—"—	जयनगर—63	कुजनगर	
253	—"—	—"—		गोरखनाथपुर	
254	—"—	—"—		जयनगर	
255	—"—	—"—		शिवनंदनपुर	
256	—"—	—"—		सतपता	
257	—"—	—"—		हर्राटिकरा	
258	—"—	—"—	कैलाशपुर—64	कैलाशपुर	
259	—"—	—"—		तेलाईकछार	

260	–"–	–"–		परसापारा	
261	–"–	–"–		राजापुर	
262	–"–	–"–		शशीपुर	
263	–"–	–"–	पेण्रखी–65	अर्जुननगर	
264	–"–	–"–		कंदरई	
265	–"–	–"–		कोरिया	
266	–"–	–"–		जमदई	
267	–"–	–"–		पेण्रखी	
268	–"–	–"–		रतनपुर	
269	–"–	–"–	डेडरी–66	डेडरी	
270	–"–	–"–		भरतपुर	
271	सूरजपुर	पिलखा	सल्का–67	सपकरा	
272	–"–	–"–		सल्का	
273	–"–	–"–	कुरंवा–68	कुरंवा	
274	–"–	–"–		केशवनगर	
275	–"–	–"–	केतका–69	केतका	
276	–"–	–"–		जोबगा	
277	–"–	–"–		पोंडी	
278	–"–	–"–		मानी	
279	–"–	–"–		लाछा	
280	–"–	–"–	देवीपुर–70	देवीपुर	
281	–"–	–"–		बेलटिंकरी	
282	–"–	–"–		मानपुर	
283	–"–	–"–		लांची	
284	–"–	–"–	गिरवरगंज–71	गिरवरगंज	
285	–"–	–"–		तिलसिंवा	
286	–"–	–"–		नयनपुर	
287	–"–	–"–		पंचिरा	
288	–"–	–"–	खरसुरा–72	खरसुरा	
289	–"–	–"–		झुमरपारा	
290	–"–	–"–		दतिमा	
291	–"–	–"–		रामनगर	
292	–"–	–"–	करंजी–73	करंजी	
293	–"–	–"–		रामपुर	

294	सूरजपुर	—"—	सोहागपुर—74	रुनियाडीह	
295	—"—	—"—		सरस्वतीपुर	
296	—"—	—"—		सोहागपुर	
297	—"—	—"—	पर्री—75	नमदगिरी	
298	—"—	—"—		पर्री	
299	—"—	—"—		महगवां	
300	—"—	—"—	सूरजपुर—76	गोपालपुर	
301	—"—	—"—		सूरजपुर	
302	—"—	—"—	चन्दरपुर—77	चन्दरपुर	
303	—"—	—"—		चम्पकनगर	
304	—"—	—"—		पतंरापारा	
305	—"—	—"—	डुमरिया—78	डुमरिया	
306	—"—	—"—		नरेशपुर	
307	—"—	—"—		पसला	
308	—"—	—"—	उँचडीह—79	उँचडीह	
309	—"—	—"—		तेन्दूपारा	
310	—"—	—"—		लोधिमा	
311	—"—	—"—		सरमा	
312	—"—	—"—	बसदेई—80	झांसी	
313	—"—	—"—		बसदेई	
314	—"—	—"—	पीढ़ा—81	नेवरा	
315	—"—	—"—		नवगई	
316	—"—	—"—		पीढ़ा	
317	सूरजपुर	रामानुजनगर	उमेशपुर—82	उमेशपुर	
318	—"—	—"—		परसापारा	
319	—"—	—"—		बरउल	
320	—"—	—"—		भरुहामुड़ा	
321	—"—	—"—	कमलपुर—83	कमलपुर	
322	—"—	—"—		धनेश्रपुर	
323	—"—	—"—		पंडरी	
324	—"—	—"—	देवनगर—84	अगस्तपुर	
325	—"—	—"—		कल्याणपुर	
326	—"—	—"—		कृष्णापुर	
327	—"—	—"—		देवनगर	

328	—"—	—"—		विशुनपुर	
329	—"—	—"—	पोड़ी—85	गोविन्दपुर	
330	—"—	—"—		तेजपुर	
331	—"—	—"—		पोड़ी	
332	—"—	—"—	सुमेरपुर—86	तेलाईमुड़ा	
333	—"—	—"—		लेडुवा	
334	—"—	—"—		सुमेरपुर	
335	—"—	—"—	उमापुर —87	उमापुर	
336	—"—	—"—		नकना	
337	—"—	—"—		पण्डरीपानी	
338	—"—	—"—		तकना	
339	—"—	—"—	माजा—88	बरहोल	
340	सूरजपुर	रामानुजनगर		माजा	
341	—"—	—"—	मदनेश्वरपुर—89	भुवनेश्वरपुर	
342	—"—	—"—		मदनेश्वरपुर	
343	—"—	—"—		शिवपुर	
344	—"—	—"—	नारायणपुर—90	कैलाशपुर	
345	—"—	—"—		चंन्द्रिकापुर	
346	—"—	—"—		नारायणपुर	
347	—"—	—"—		पस्ता	
348	—"—	—"—		बद्रिकाआश्रम	
349	—"—	—"—	सोनपुर—91	गोपीपुर	
350	—"—	—"—		तेलसरा	
351	—"—	—"—		सोनपुर	
352	—"—	—"—	कोट —92	आमगांव	
353	—"—	—"—		कोट	
354	—"—	—"—		चन्दरपुर	
355	—"—	—"—		पम्पापुर	
356	—"—	—"—	साल्ही—93	जगरनाथपुर	
357	—"—	—"—		पटना	
358	—"—	—"—		राजापुर	
359	—"—	—"—		रामपुर	
360	—"—	—"—		सागरपुर	
361	—"—	—"—		साल्ही	

362	-"-	-"-		सिन्दुरी	
363	सूरजपुर	रामानुजनगर	परशुरामपुर-94	परशुरामपुर	
364	-"-	-"-		मोहनपुर	
365	-"-	-"-		सुरता	
366	-"-	-"-	पतरापाली-95	अक्षयपुर	
367	-"-	-"-		दवना	
368	-"-	-"-		द्वारिकापुर	
369	-"-	-"-		पतरापाली	
370	-"-	-"-		पम्पानगर	
371	-"-	-"-	रामानुजनगर-96	कौशलपुर	
372	-"-	-"-		रामानुजनगर	
373	-"-	-"-		लब्जी	
374	-"-	-"-		सराईपारा	
375	-"-	-"-		त्रिपुरेश्वरपुर	
376	-"-	-"-	मकरंदीपुर-97	छिदिया	
377	-"-	-"-		पिउरी	
378	-"-	-"-		मकरंदीपुर	
379	-"-	-"-		मकरबंधा	
380	-"-	-"-	मदनपुर-98	केशवपुर	
381	-"-	-"-		गोकुलपुर	
382	-"-	-"-		रामेश्वरम	
383	-"-	-"-		पंचवटी	
384	-"-	-"-		मदनपुर	
385	सूरजपुर	रामानुजनगर	रामेश्वरम-99	रामतिर्थ	
386	-"-	-"-		हनुमानगढ़	
387	-"-	-"-		पवनपुर	
388	-"-	-"-		जगतपुर	
389	-"-	-"-	परमेश्वरपुर-100	परमेश्वरपुर	
390	-"-	-"-		बरबसपुर	
391	-"-	-"-		अर्जुनपुर	
392	-"-	-"-		गणेशपुर	
393	-"-	प्रेमनगर	नावापाराकला-101	कनकपुर	
394	-"-	-"-		खजुरी	
395	-"-	-"-		गौरीपुर	

396	—"—	—"—		नावापाराकला	
397	—"—	—"—	फूलकोना—102	अन्नपूर्णा	
398	—"—	—"—		कंचनपुर	
399	—"—	—"—		टाकर	
400	—"—	—"—		फूलकोना	
401	—"—	—"—		ब्रम्हपुर	
402	—"—	—"—		भगवानपुर	
403	—"—	—"—	कोतल—103	अनंतपुर	
404	—"—	—"—		कोतल	
405	—"—	—"—		नमना	
406	—"—	—"—		बकालो	
407	—"—	—"—		वृन्दावन	
408	सूरजपुर	प्रेमनगर	तारकेश्वरपुर—104	तारकेश्वरपुर	
409	—"—	—"—		उमेश्वरपुर	
410	—"—	—"—		श्यामपुर	
411	—"—	—"—	महगई—105	महगई	
412	—"—	—"—		कालीपुर	
413	—"—	—"—		नावापाराखुर्द	
414	—"—	—"—		दुर्गापुर	
415	—"—	—"—	चन्दननगर—106	सरस्वतीपुर	
416	—"—	—"—		पार्वतीपुर	
417	—"—	—"—		लक्ष्मीपुर	
418	—"—	—"—		जयपुर	
419	—"—	—"—	प्रेमनगर—107	चंदननगर	
420	—"—	—"—		सलका	
421	—"—	—"—	केदारपुर—108	प्रेमनगर	
422	—"—	—"—		रघुनाथपुर	
423	—"—	—"—		लक्ष्मणपुर	
424	—"—	—"—	विन्ध्याचल—109	केदारपुर	
425	—"—	—"—		कोटेया	
426	—"—	—"—		बकिरमा	
427	—"—	—"—		विध्याचल	
428	—"—	—"—		महोरा	
429	—"—	—"—		बल्देवनगर	

430	–"–	–"–		सारसताल	
431	–"–	–"–	सारसताल–110	रामेश्वरनगर	
432	सूरजपुर	–"–		महेशपुर	
433	–"–	–"–		हरिहरपुर	
434	–"–	–"–	तारा–111	अभयपुर	
435	–"–	–"–		कांटारोली	
436.	–"–	–"–		जर्नादनपुर	
437	–"–	–"–		तारा	
438	–"–	–"–		मेण्ड्रा	
439	–"–	–"–		शिवनगर	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील प्रतापपुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	प्रतापपुर	डांड़करवां	रमकोला—1	अरचोका	
2	—"—	—"—	—"—	धुरिया	
3	—"—	—"—	—"—	पेण्डारी	
4	—"—	—"—	—"—	भेलकछ	
5	—"—	—"—	—"—	रमकोला	
6	—"—	—"—	घुई—2	घुई	
7	—"—	—"—	—"—	बरपटिया	
8	—"—	—"—	—"—	दुलदुली	
9	—"—	—"—	—"—	बडवार	
10	—"—	—"—	—"—	वर्गीडीह	
11	—"—	—"—	घुमाडांड़—3	बोंगा	
12	—"—	—"—	—"—	गोविन्दपुर	
13	—"—	—"—	—"—	घुमाडांड़	
14	—"—	—"—	नरोला—4	नरोला	
15	—"—	—"—	—"—	धोन्धा	
16	—"—	—"—	—"—	बटई	

1	2	3	4	5	6
17	—"—	—"—	गोवर्धनपुर—5	सोनडीहा	
18	—"—	—"—	—"—	गोवर्धनपुर	
19	—"—	—"—	—"—	रामपुर	
20	—"—	—"—	—"—	चांचीडांड़	
21	—"—	—"—	डांड़करवां—6	डांड़करवां	
22	—"—	—"—	—"—	रेवटी	
23	—"—	—"—	भेड़िया—7	भेड़िया	
24	—"—	—"—	—"—	पहाडकरवां	
25	—"—	—"—	—"—	नवाधक्की	
26	—"—	—"—	पकनी—8	पकनी	
27	—"—	—"—	—"—	देवरी	
28	—"—	—"—	जजावल—9	गोरगी	
29	—"—	—"—	—"—	अंजनी	
30	—"—	—"—	—"—	जजावल	
31	—"—	—"—	—"—	गिरिया	
32	—"—	—"—	माटिगड़ा—10	माटिगड़ा	
33	—"—	—"—	—"—	परमेश्वरपुर	
34	—"—	—"—	—"—	सिंघरी	
35	—"—	—"—	दवनकरा—11	हरिहरपुर	
36	—"—	—"—	—"—	दवनकरा	
37	—"—	—"—	दुरती—12	दुरती	
38	—"—	—"—	—"—	मरहटा	
39	—"—	—"—	—"—	सेंधोपारा	
40	—"—	—"—	—"—	गोंदा	
41	—"—	—"—	—"—	सत्तीपारा	
42	—"—	—"—	केवरा—13	केवरा	
43	—"—	—"—	—"—	पार्वतीपुर	
44	—"—	—"—	—"—	पलढ़ा	
45	—"—	—"—	—"—	भरदा	

1	2	3	4	5	6
46	—"—	—"—	—"—	सिंघरा	
47	—"—	—"—	सरहरी—14	सरहरी	
48	—"—	—"—	—"—	सेमराखुर्द	
49	—"—	—"—	—"—	पोंड़ी	
50	—"—	—"—	—"—	दरहोरा	
51	—"—	—"—	—"—	चन्दौरा	
52	—"—	—"—	—"—	सेमई	
53	—"—	—"—	मानी—15	मायापुर	
54	—"—	—"—	—"—	डोमहत	
55	—"—	—"—	—"—	मानी	
56	—"—	—"—	—"—	रमगवां	
57	—"—	—"—	—"—	डुमरखोली	
58	—"—	—"—	—"—	लोलकी	
59	—"—	—"—	—"—	खुन्शी	
60	—"—	—"—	—"—	मझगवां	
61	—"—	—"—	—"—	पहिया	
62	—"—	—"—	—"—	घाटपेण्डारी	
63	—"—	—"—	—"—	बरउल	
64	—"—	प्रतापपुर	खोरमा—16	अमनदोन	
65	—"—	—"—	—"—	खोरमा	
66	—"—	—"—	—"—	करंजवार	
67	—"—	—"—	प्रतापपुर—17	प्रतापपुर	
68	—"—	—"—	—"—	खजुरी	
69	—"—	—"—	—"—	रामपुर	
70	—"—	—"—	—"—	शिवपुर	
71	—"—	—"—	—"—	बैकोना	
72	—"—	—"—	सौतार—18	सौतार	
73	—"—	—"—	—"—	सिलौटा	
74	—"—	—"—	—"—	खैराडीह	

1	2	3	4	5	6
75	—"—	—"—	—"—	सेमराकला	
76	—"—	—"—	सोनपुर–19	चन्द्रेली	
77	—"—	—"—	—"—	पड़िया	
78	—"—	—"—	—"—	नवाडीह	
79	—"—	—"—	—"—	पेण्डारी	
80	—"—	—"—	—"—	टुकूडांड़	
81	—"—	—"—	—"—	सोनपुर	
82	—"—	—"—	—"—	मसगा	
83	—"—	—"—	—"—	गोटगवां	
84	—"—	—"—	—"—	चांचीडीह	
85	—"—	—"—	—"—	देवेन्द्रनगर	
86	—"—	—"—	करसी–20	मकनपुर	
87	—"—	—"—	—"—	बुढ़ाडांड़	
88	—"—	—"—	—"—	बरबसपुर	
89	—"—	—"—	—"—	करसी	
90	—"—	—"—	—"—	सिलफिली	
91	—"—	—"—	—"—	कनकनगर	
92	—"—	—"—	जगरनाथपुर–21	गणेशपुर	
93	—"—	—"—	—"—	मदननगर	
94	—"—	—"—	—"—	जगरनाथपुर	
95	—"—	—"—	—"—	पम्पापुर	
96	—"—	—"—	मानपुर–22	केरता	
97	—"—	—"—	—"—	धरमपुर	
98	—"—	—"—	—"—	मानपुर	
99	—"—	—"—	—"—	माड़ीडांड़	
100	—"—	—"—	कोटेया–23	कोटेया	
101	—"—	—"—	—"—	गौरा	
102	—"—	—"—	—"—	बगड़ा	
103	—"—	—"—	बंशीपुर–24	जरही	

1	2	3	4	5	6
104	—"—	—"—	—"—	बंशीपुर	
105	—"—	—"—	—"—	कोरन्धा	
106	—"—	—"—	सोनगरा–25	सोनगरा	
107	—"—	—"—	—"—	शंकरपुर	
108	—"—	—"—	—"—	सकलपुर	
109	—"—	—"—	—"—	श्यामनगर	
110	—"—	—"—	—"—	झिंगादोहर	
111	—"—	—"—	खड़गवांकला–26	बोझाा	
112	—"—	—"—	—"—	मायापुर	
113	—"—	—"—	—"—	पण्डरीडांड़	
114	—"—	—"—	—"—	चन्दरपुर	
115	—"—	—"—	—"—	सुखदेवपुर	
116	—"—	—"—	—"—	खड़गवांकला	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील वाड्रफनगर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	वाड्रफनगर	रघुनाथनगर	कोगवार–1	कोगवार	
2	–"–	–"–	–"–	कर्री	
3	–"–	–"–	–"–	तुगवा	
4	–"–	–"–	–"–	मझौली	
5	–"–	–"–	–"–	बेबदी	
6	–"–	–"–	बलंगी–2	हरदीबहरा	
7	–"–	–"–	–"–	बलंगी	
8	–"–	–"–	–"–	जोगियानी	
9	–"–	–"–	कमलपुर–3	झापर	
10	–"–	–"–	–"–	पटेवा	
11	–"–	–"–	–"–	कारीमाटी	
12	–"–	–"–	–"–	कमलपुर	
13	–"–	–"–	–"–	गोबरदहा	
14	–"–	–"–	गुड़रु–4	गुड़रु	
15	–"–	–"–	–"–	चपोता	
16	–"–	–"–	–"–	तोरफा	
17	–"–	–"–	–"–	चकदेही	
18	–"–	–"–	आसनडीह–5	आसनडीह	
19	–"–	–"–	–"–	जनकपुर	
20	–"–	–"–	–"–	मुढ़िया	

1	2	3	4	5	6
21	–"–	–"–	करमडीहा–6	करमडीहा	
22	–"–	–"–	–"–	भरुहीबांस	
23	–"–	–"–	–"–	बभनी	
24	–"–	–"–	–"–	चरचरी	
25	–"–	–"–	रघुनाथनगर–7	रमेशपुर	
26	–"–	–"–	–"–	बगाईनार	
27	–"–	–"–	–"–	रघुनाथनगर	
28	–"–	–"–	सोनहत–8	शंकरपुर	
29	–"–	–"–	–"–	गदौर	
30	–"–	–"–	–"–	लंगड़ी	
31	–"–	–"–	–"–	बीजाकुर्रा	
32	–"–	–"–	–"–	सोनहत	
33	–"–	–"–	–"–	नवगई	
34	–"–	–"–	सरना–9	गैना	
35	–"–	–"–	–"–	बेतो	
36	–"–	–"–	–"–	सरना	
37	–"–	–"–	–"–	गिरवानी	
38	–"–	–"–	–"–	केसारी	
39	–"–	–"–	–"–	जौराही	
40	–"–	–"–	–"–	चवंरसराई	
41	–"–	–"–	पंडरी–10	हरिगवां	
42	–"–	–"–	–"–	महेवा	
43	–"–	–"–	–"–	पंडरी	
44	–"–	–"–	–"–	कोटी	
45	–"–	–"–	–"–	लोधी	
46	–"–	–"–	–"–	गुरमुटी	
47	–"–	–"–	पशुपतिपुर–11	मढ़ना	
48	–"–	–"–	–"–	मदनपुर	
49	–"–	–"–	–"–	पेण्डारी	
50	–"–	–"–	–"–	पोखरा	
51	–"–	–"–	–"–	इकनारा	
52	–"–	–"–	–"–	ककनेसा	

1	2	3	4	5	6
53	–"–	–"–	–"–	कोल्हुआ	
54	–"–	–"–	–"–	पशुपतिपुर	
55	–"–	–"–	–"–	मिथिलापुर	
56	–"–	–"–	फूलीडुमर–12	रामनगर	
57	–"–	–"–	–"–	खर्रा	
58	–"–	–"–	–"–	सरुवत	
59	–"–	–"–	–"–	बाजरा	
60	–"–	–"–	–"–	शांतिपुर	
61	–"–	–"–	–"–	फूलीडुमर	
62	–"–	–"–	–"–	धनवार	
63	–"–	–"–	–"–	गोबरा	
64	–"–	–"–	–"–	कुन्दी	
65	–"–	–"–	बसंतपुर–13	जमई	
66	–"–	–"–	–"–	बसंतपुर	
67	–"–	–"–	–"–	बसुलापाठ	
68	–"–	–"–	–"–	रुपपुर	
69	–"–	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर–14	रजखेता	
70	–"–	–"–	–"–	वाड्रफनगर	
71	–"–	–"–	–"–	भगवानपुर	
72	–"–	–"–	–"–	कोटराही	
73	–"–	–"–	मेढ़ारी–15	प्रेमनगर	
74	–"–	–"–	–"–	मेढ़ारी	
75	–"–	–"–	–"–	बेंगो	
76	–"–	–"–	मुरकौल–16	लमोरी	
77	–"–	–"–	–"–	स्याही	
78	–"–	–"–	–"–	गोंदला	
79	–"–	–"–	–"–	मुरकौल	
80	–"–	–"–	सुलसुली–17	विरेन्द्रनगर	
81	–"–	–"–	–"–	बैकुण्ठपुर	
82	–"–	–"–	–"–	महुली	
83	–"–	–"–	–"–	बेलसर	
84	–"–	–"–	–"–	चांदी	

1	2	3	4	5	6
85	–"–	–"–	–"–	सुलसुली	
86	–"–	–"–	शारदापुर–18	शारदापुर	
87	–"–	–"–	–"–	करमडीहा	
88	–"–	–"–	–"–	गोवर्धनपुर	
89	–"–	–"–	–"–	सुरहुल	
90	–"–	–"–	कड़िया–19	अमरावतीपुर	
91	–"–	–"–	–"–	कड़िया	
92	–"–	–"–	–"–	पडौली	
93	–"–	–"–	–"–	मानपुर	
94	–"–	–"–	बुढ़ाडांड़–20	ढ़ढिया	
95	–"–	–"–	–"–	कछिया	
96	–"–	–"–	–"–	पनसरा	
97	–"–	–"–	–"–	ढ़ोढ़ी	
98	–"–	–"–	–"–	कैलाशपुर	
99	–"–	–"–	–"–	बुढ़ाडांड़	
100	–"–	–"–	–"–	अलका	
101	–"–	–"–	बरतीकला–21	परसडीहा	
102	–"–	–"–	–"–	जमई	
103	–"–	–"–	–"–	भैसामुण्डा	
104	–"–	–"–	–"–	बरतीकला	
105	–"–	–"–	–"–	शिवरी	
106	–"–	–"–	–"–	अमडीहा	
107	–"–	–"–	–"–	सावित्रीपुर	
108	–"–	–"–	–"–	बरतीखुर्द	
109	–"–	–"–	बड़कागांव–22	ओदारी	
110	–"–	–"–	–"–	शारदापुर (ई)	
111	–"–	–"–	–"–	इंजानी	
112	–"–	–"–	–"–	बड़कागांव	
113	–"–	–"–	चलगली खास–23	भगवानपुरखास	
114	–"–	–"–	–"–	भुलाई उर्फ झोर	
115	–"–	–"–	–"–	सुरसा	
116	–"–	–"–	–"–	भगवानपुरजिरात	

1	2	3	4	5	6
117	–"–	–"–	–"–	डोंगरो	
118	–"–	–"–	–"–	वेलिया	
119	–"–	–"–	–"–	चलगली खास	
120	–"–	–"–	–"–	रामपुर	
121	–"–	–"–	–"–	दुआरी	
122	–"–	–"–	–"–	फूलवार	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील सामरी (कुसमी) के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्र0	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सामरी	शंकरगढ़	हरगवां-1	घघरीखुर्द	
2	—"—	—"—	—"—	इन्दाकोना	
3	—"—	—"—	—"—	पहरी	
4	—"—	—"—	—"—	हरगवां	
5	—"—	—"—	जगिमा–2	जगिमा	
6	—"—	—"—	—"—	पटना	
7	—"—	—"—	—"—	नावापारा	
8	—"—	—"—	—"—	डिपाडीहखुर्द	
9	—"—	—"—	—"—	भैरोपुर	
10	—"—	—"—	कमारी–3	कमारी	
11	—"—	—"—	—"—	सिलफिलि	
12	—"—	—"—	—"—	मुरका	
13	—"—	—"—	—"—	दामोदरपुर	
14	—"—	—"—	सरगवां–4	लोधी	
15	—"—	—"—	—"—	मनकेपी	
16	—"—	—"—	—"—	सरगवां	
17	—"—	—"—	—"—	सरिमा	
18	—"—	—"—	जारगीम–5	खैराडीह	
19	—"—	—"—	—"—	भोदना	
20	—"—	—"—	—"—	जारगीम	

1	2	3	4	5	6
21	—"—	—"—	—"—	परेंवा	
22	—"—	—"—	—"—	देवसराखुर्द	
23	—"—	—"—	मनोहरपुर–6	मनोहरपुर	
24	—"—	—"—	—"—	पोड़ीखुर्द	
25	—"—	—"—	—"—	विनयकपुर	
26	—"—	—"—	बेलकोना–7	बेलकोना	
27	—"—	—"—	—"—	कोरंधा	
28	—"—	—"—	—"—	खरकोना	
29	—"—	—"—	—"—	टिकनी	
30	—"—	—"—	—"—	अमेरा	
31	—"—	—"—	मानपुर–8	सिहार	
32	—"—	—"—	—"—	लड्डुवा	
33	—"—	—"—	—"—	मानपुर	
34	—"—	—"—	शंकरगढ़–9	दोहना	
35	—"—	—"—	—"—	पतराटोली	
36	—"—	—"—	—"—	शंकरगढ़	
37	—"—	—"—	जमड़ी–10	जमड़ी	
38	—"—	—"—	—"—	अमगांव	
39	—"—	—"—	—"—	बीजाडीह	
40	—"—	—"—	—"—	चलगली	
41	—"—	—"—	—"—	सरनाडीह	
42	—"—	—"—	बेलसर–11	महुआडीह	
43	—"—	—"—	—"—	बांसडीह	
44	—"—	—"—	—"—	ललितपुर	
45	—"—	—"—	—"—	बेलसर	
46	—"—	—"—	—"—	पेण्डारडीह	
47	—"—	—"—	दुर्गापुर–12	चिराई	
48	—"—	—"—	—"—	जसवंन्तपुर	
49	—"—	—"—	—"—	गिरजापुर	
50	—"—	—"—	—"—	दुर्गापुर	
51	—"—	—"—	—"—	जरहाडीह	
52	—"—	—"—	भुनेश्वरपुर–13	जम्होर	

1	2	3	4	5	6
53	—"—	—"—	—"—	भगावतपुर	
54	—"—	—"—	—"—	भुनेश्वरपुर	
55	—"—	—"—	—"—	चिता	
56	—"—	—"—	—"—	अमरठा	
57	—"—	—"—	डिपाडीहकला—14	अंयारी	
58	—"—	—"—	—"—	चांगरो	
59	—"—	—"—	—"—	डिपाडीहकला	
60	—"—	—"—	बादा—15	बादा	
61	—"—	—"—	—"—	जमहाटी	
62	—"—	—"—	—"—	देवसराकला	
63	—"—	—"—	—"—	कोदवा	
64	—"—	—"—	—"—	उदरसई	
65	—"—	—"—	रेहड़ा—16	रेहड़ा	
66	—"—	—"—	—"—	चन्द्रनगर	
67	—"—	—"—	—"—	कृष्णनगर	
68	—"—	—"—	—"—	कोटालू	
69	—"—	—"—	उमको—17	उमको	
70	—"—	—"—	—"—	करमीउरांवटोली	
71	—"—	—"—	—"—	करमीकवंरटोली	
72	—"—	—"—	—"—	गम्हारडीह	
73	—"—	—"—	—"—	पोडीकला	
74	—"—	—"—	—"—	लरंगी	
75	—"—	—"—	—"—	सराईडीह	
76	—"—	—"—	भरतपुर—18	आसनपानी	
77	—"—	—"—	—"—	करासी	
78	—"—	—"—	—"—	कंचननगर	
79	—"—	—"—	—"—	जामपानी	
80	—"—	—"—	—"—	जोकापाठ	
81	—"—	—"—	—"—	भरतपुर	
82	—"—	—"—	—"—	लहसुनपाठ	
83	—"—	—"—	—"—	समुद्री	
84	—"—	—"—	कोठली—19	कोठली	

1	2	3	4	5	6
85	–"–	–"–	–"–	घुघरीकला	
86	–"–	–"–	–"–	नचाडीह	
87	–"–	सामरी	कंदरी–20	कंदरी	
88	–"–	–"–	–"–	धनजी	
89	–"–	–"–	–"–	बसकेपी	
90	–"–	–"–	–"–	बैरडीहकला	
91	–"–	–"–	–"–	भवानीपुर	
92	–"–	–"–	–"–	मंगाजी	
93	–"–	–"–	–"–	शाहपुर	
94	–"–	–"–	–"–	सुखरी	
95	–"–	–"–	चांदो–21	करचा	
96	–"–	–"–	–"–	खजुरीयाडीह	
97	–"–	–"–	–"–	गौतमपुर	
98	–"–	–"–	–"–	चांदो	
99	–"–	–"–	–"–	जोधपुर	
100	–"–	–"–	–"–	नवाडीहकला	
101	–"–	–"–	–"–	भोजपुर	
102	–"–	–"–	–"–	सोनवर्षा	
103	–"–	–"–	मड़वा–22	इदरीकला	
104	–"–	–"–	–"–	कसेड़ी	
105	–"–	–"–	–"–	कुरडीह	
106	–"–	–"–	–"–	चटनिया	
107	–"–	–"–	–"–	जरियों	
108	–"–	–"–	–"–	मड़वा	
109	–"–	–"–	सवाग–23	कुदाग	
110	–"–	–"–	–"–	गदाभी	
111	–"–	–"–	–"–	चरहू	
112	–"–	–"–	–"–	चुनचुना	
113	–"–	–"–	–"–	जलजली	
114	–"–	–"–	–"–	नवाडीहखुर्द	
115	–"–	–"–	–"–	पुनदाग	
116	–"–	–"–	–"–	सबाग	

1	2	3	4	5	6
117	–"–	–"–	डुमरखोली–24	डुमरखोली	
118	–"–	–"–	–"–	बाटा	
119	–"–	–"–	–"–	राजेन्द्रपुर	
120	–"–	–"–	चरहटकला–25	इदरीपाट	
121	–"–	–"–	–"–	करमडीह	
122	–"–	–"–	–"–	चरहटकला	
123	–"–	–"–	–"–	चरहटखुर्द	
124	–"–	–"–	–"–	दात्रम	
125	–"–	–"–	सामरी–26	अमटाही	
126	–"–	–"–	–"–	कुटकु	
127	–"–	–"–	–"–	सामरी	
128	–"–	–"–	जमीरा–27	चिराई	
129	–"–	–"–	–"–	जमीरा	
130	–"–	–"–	घुटराडीह–28	गजाधरपुर	
131	–"–	–"–	–"–	घुटराडीह	
132	–"–	–"–	–"–	नटवरनगर	
133	–"–	–"–	–"–	राताসिली	
134	–"–	–"–	–"–	रामनगर	
135	–"–	–"–	टांटीझरिया–29	गोपातू	
136	–"–	–"–	–"–	टांटीझरिया	
137	–"–	–"–	–"–	बेतपानी	
138	–"–	–"–	–"–	लक्ष्मणपुर	
139	–"–	–"–	–"–	सेरंगदाग	
140	–"–	कुसमी	हर्री–30	चैनपुर	
141	–"–	–"–	–"–	बकसपुर	
142	–"–	–"–	–"–	बैरडीहखुर्द	
143	–"–	–"–	–"–	हर्री	
144	–"–	–"–	भुलसीकला–31	अमरपुर	
145	–"–	–"–	–"–	चम्पानगर	
146	–"–	–"–	–"–	भुलसीकला	
147	–"–	–"–	–"–	भुलसीखुर्द	
148	–"–	–"–	–"–	मोतीनगर	

1	2	3	4	5	6
149	—"—	—"—	जिगनियां—32	करकलीपश्चिम	
150	—"—	—"—	—"—	करकलीपूर्व	
151	—"—	—"—	—"—	जिगनियां	
152	—"—	—"—	—"—	जिरहूल	
153	—"—	—"—	—"—	बेनीपुर	
154	—"—	—"—	—"—	लेफूवाटोली	
155	—"—	—"—	नीलकंठपुर—33	केंवझर	
156	—"—	—"—	—"—	नवडीहा	
157	—"—	—"—	—"—	नीलकंठपुर	
158	—"—	—"—	—"—	लवकुसपुर	
159	—"—	—"—	—"—	सिवलिदाग	
160	—"—	—"—	—"—	सेमरा	
161	—"—	—"—	—"—	सेमरांतला	
162	—"—	—"—	कुसमी—34	कंजिया	
163	—"—	—"—	—"—	कुसमी	
164	—"—	—"—	—"—	शाहपुर	
165	—"—	—"—	कटिमा—35	कटिमा	
166	—"—	—"—	—"—	कंचनटोली	
167	—"—	—"—	—"—	पकरीटोली	
168	—"—	—"—	—"—	महुवाटोली	
169	—"—	—"—	त्रिपुरी—36	कंदली	
170	—"—	—"—	—"—	गोपीनगर	
171	—"—	—"—	—"—	गोविन्दपुर	
172	—"—	—"—	—"—	तरैनी	
173	—"—	—"—	—"—	नवगई	
174	—"—	—"—	—"—	परसा	
175	—"—	—"—	—"—	भवानीपुर	
176	—"—	—"—	—"—	लरिमा	
177	—"—	—"—	—"—	त्रिपुरी	
178	—"—	—"—	मदगुरी—37	भगवानपुर	
179	—"—	—"—	—"—	मदगुरी	
180	—"—	—"—	जवाहरनगर—38	कमलापुर	

1	2	3	4	5	6
181	–"–	–"–	–"–	जवाहरनगर	
182	–"–	–"–	–"–	देवरी	
183	–"–	–"–	–"–	सिरकोट	
184	–"–	–"–	कोरंधा–39	कोरंधा	
185	–"–	–"–	–"–	खजुरी	
186	–"–	–"–	–"–	प्रेमनगर	
187	–"–	–"–	–"–	पाकरडीह	
188	–"–	–"–	–"–	सुरबेना	
189	–"–	–"–	हंसपुर–40	धनेशपुर	
190	–"–	–"–	–"–	पोड़िपा	
191	–"–	–"–	–"–	सोनपुर	
192	–"–	–"–	–"–	हंसपुर	

अम्बिकापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1779/स. अ. भू. अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील पाल (रामानुजगंज) के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

—: सूची :—

क्रमांक	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	पाल	रामचन्द्रपुर	कुण्डपान–1	कुण्डपान	
2	–"–	–"–	–"–	पीपरपान	
3	–"–	–"–	डिण्डो–2	डिण्डो	
4	–"–	–"–	–"–	चैनपुर	
5	–"–	–"–	–"–	बिमलापुर	
6	–"–	–"–	महादेवपुर–3	महादेवपुर	
7	–"–	–"–	–"–	बराहनगर	
8	–"–	–"–	–"–	चेरा	
9	–"–	–"–	सलवाही–4	सलवाही	
10	–"–	–"–	–"–	कुरलुडीह	
11	–"–	–"–	–"–	टाटीआथर	
12	–"–	–"–	तारकेश्वरपुर–5	तारकेश्वरपुर	
13	–"–	–"–	–"–	कुन्दरु	
14	–"–	–"–	–"–	डुमरपान	
15	–"–	–"–	–"–	चुनापाथर	
16	–"–	–"–	त्रिसुली–6	झारा	
17	–"–	–"–	–"–	कुसफर	
18	–"–	–"–	–"–	त्रिसुली	
19	–"–	–"–	पंचावल–7	पंचावल	
20	–"–	–"–	–"–	सुन्दरपुर	
21	–"–	–"–	–"–	तेन्दूआ	
22	–"–	–"–	–"–	डुगरु	

1	2	3	4	5	6
23	–"–	–"–	कामेश्वरनगर–8	कामेश्वरनगर	
24	–"–	–"–	–"–	धौली	
25	–"–	–"–	–"–	लितरा	
26	–"–	–"–	–"–	सेमरवा	
27	–"–	–"–	सनावल–9	सनावल	
28	–"–	–"–	–"–	इन्दरावतीपुर	
29	–"–	–"–	–"–	गिनुआखाड़	
30	–"–	–"–	सिलाजु–10	बरवाही	
31	–"–	–"–	–"–	उचरुवा	
32	–"–	–"–	–"–	सिलाजु	
33	–"–	–"–	–"–	आनन्दपुर	
34	–"–	–"–	ओरंगा–11	ओरंगा	
35	–"–	–"–	–"–	दोलंगी	
36	–"–	–"–	विशुनपुर–12	रेवतीपुर	
37	–"–	–"–	–"–	विशुनपुर	
38	–"–	–"–	–"–	आवादी	
39	–"–	–"–	अनिरुद्धपुर–13	अनिरुद्धपुर	
40	–"–	–"–	–"–	रामचन्द्रपुर	
41	–"–	–"–	–"–	चेरवाडीह	
42	–"–	–"–	–"–	कालिकापुर	
43	–"–	–"–	–"–	हरिहरपुर	
44	–"–	–"–	–"–	जगदम्बापुर	
45	–"–	–"–	–"–	बरवाडीह	
46	–"–	–"–	नीलकंठपुर–14	नीलकंठपुर	
47	–"–	–"–	–"–	टिकिदिरी	
48	–"–	–"–	–"–	चरगढ	
49	–"–	–"–	–"–	बाहरचुरा	
50	–"–	–"–	–"–	डाटम	
51	–"–	–"–	–"–	धनवार	
52	–"–	–"–	–"–	भितरचुरा	
53	–"–	–"–	–"–	गाजर	
54	–"–	–"–	–"–	सुरंगपान	
55	–"–	–"–	–"–	बेलकुर्ता	
56	–"–	–"–	मरमा(विश्वनाथपुर)–15	अन्नपारा	

1	2	3	4	5	6
57	–"–	–"–	–"–	नेउरगंज	
58	–"–	–"–	–"–	बसंराखुर्द	
59	–"–	–"–	–"–	मरमा(विश्वनाथपुर)	
60	–"–	–"–	–"–	लोधा	
61	–"–	–"–	–"–	धरमी	
62	–"–	–"–	–"–	विशालपुर	
63	–"–	–"–	–"–	बनापति	
64	–"–	–"–	–"–	कृष्णानगर	
65	–"–	–"–	–"–	राधानगर	
66	–"–	–"–	–"–	गरगोड़ी(बलरामपुर)	
67	–"–	–"–	नावाडीह–16	पलगी	
68	–"–	–"–	–"–	त्रिकुण्डा	
69	–"–	–"–	–"–	चलखी	
70	–"–	–"–	–"–	नावाडीह	
71	–"–	–"–	महावीरगंज–17	इन्दरपुर	
72	–"–	–"–	–"–	केवली	
73	–"–	–"–	–"–	गम्हरिया	
74	–"–	–"–	–"–	चांकी	
75	–"–	–"–	–"–	चिनिया	
76	–"–	–"–	–"–	चुमरा	
77	–"–	–"–	–"–	छतरपुर	
78	–"–	–"–	–"–	फूलवार	
79	–"–	–"–	–"–	बगरा	
80	–"–	–"–	–"–	महावीरगंज	
81	–"–	–"–	–"–	मेधुली	
82	–"–	–"–	–"–	लावा	
83	–"–	–"–	–"–	शिवपुर	
84	–"–	–"–	विजयनगर–18	विजयनगर	
85	–"–	–"–	–"–	मितगई	
86	–"–	–"–	–"–	पुरषोत्तमपुर	
87	–"–	–"–	–"–	भाला	
88	–"–	–"–	–"–	पिपरौल	
89	–"–	–"–	–"–	परहियाडीह	
90	–"–	–"–	रामानुजगंज–19	कनकपुर	

1	2	3	4	5	6
91	–"–	–"–	–"–	रामपुर	
92	–"–	–"–	–"–	रामानुजगंज(न0पं0)	
93	–"–	–"–	–"–	लुरगी	
94	–"–	–"–	आरागाही–20	आरागाही	
95	–"–	–"–	–"–	नावापारा	
96	–"–	–"–	–"–	कमलपुर	
97	–"–	–"–	–"–	कंचननगर	
98	–"–	–"–	–"–	कृष्णानगर	
99	–"–	–"–	–"–	तामेश्वरनगर	
100	–"–	–"–	–"–	पुरानडीह	
101	–"–	–"–	–"–	भंवरमाल	
102	–"–	–"–	नगरा–21	चन्दनपुर	
103	–"–	–"–	–"–	देवीगंज	
104	–"–	–"–	–"–	नगरा	
105	–"–	–"–	–"–	धनपुरी	
106	–"–	–"–	–"–	चन्द्रनगर	
107	–"–	–"–	–"–	नेहरुनगर	
108	–"–	–"–	–"–	बुलगांव	
109	–"–	–"–	–"–	सुभाषनगर	
110	–"–	–"–	–"–	जामवंतपुर	
111	–"–	–"–	–"–	देवगई	
112	–"–	–"–	–"–	तेतरडीह	
113	–"–	–"–	–"–	भवानीपुर	
114	–"–	–"–	–"–	भितयाही	
115	–"–	बलरामपुर	सेन्दुर–22	सेन्दुर	
116	–"–	–"–	–"–	मानिकपुर	
117	–"–	–"–	–"–	दलधोवा	
118	–"–	–"–	–"–	महेशपुर	
119	–"–	–"–	–"–	शंकरपुर	
120	–"–	–"–	–"–	सोनहरा	
121	–"–	–"–	मुरका–23	चैनपुर उर्फ केरता	
122	–"–	–"–	–"–	कोटरकी	
123	–"–	–"–	–"–	गिरवरगंज	
124	–"–	–"–	–"–	बरौली	

1	2	3	4	5	6
125	–"–	–"–	–"–	बसेराकला	
126	–"–	–"–	–"–	बेलकुदरी	
127	–"–	–"–	–"–	मुरका	
128	–"–	–"–	कपिलदेवपुर (खोभी)–24	कपिलदेवपुर (खोभी)	
129	–"–	–"–	–"–	कपोत	
130	–"–	–"–	–"–	चन्दौरा	
131	–"–	–"–	–"–	सरस्वतीपुर	
132	–"–	–"–	–"–	लुरगीकला	
133	–"–	–"–	–"–	गम्हरिया	
134	–"–	–"–	–"–	चम्पापुर	
135	–"–	–"–	–"–	धनवारकला	
136	–"–	–"–	–"–	पथरी	
137	–"–	–"–	–"–	बांदा	
138	–"–	–"–	करींचलगली–25	करींचलगली	
139	–"–	–"–	–"–	अमरपुर	
140	–"–	–"–	–"–	चेमी उर्फ चमनपुर	
141	–"–	–"–	–"–	भैरोपुर उर्फ भुतका	
142	–"–	–"–	–"–	कोदाकी	
143	–"–	–"–	–"–	चौगई	
144	–"–	–"–	–"–	चिंतमा	
145	–"–	–"–	–"–	फत्तेपुर	
146	–"–	–"–	–"–	मकरो	
147	–"–	–"–	–"–	गोरीपुर उर्फ चरईगोड़ा	
148	–"–	–"–	–"–	रनहत	
149	–"–	–"–	–"–	लुरगीखुर्द	
150	–"–	–"–	डुमरखोला–26	लेफरी	
151	–"–	–"–	–"–	अतौरी	
152	–"–	–"–	–"–	करकेपी	
153	–"–	–"–	–"–	गोविन्दपुर	
154	–"–	–"–	–"–	लिलौटी	
155	–"–	–"–	–"–	सरगड़ी	
156	–"–	–"–	–"–	कोचली	
157	–"–	–"–	–"–	कोटसरीपोडी	
158	–"–	–"–	–"–	डवंरा	

1	2	3	4	5	6
159	—"—	—"—	—"—	डुगरखोला	
160	—"—	—"—	—"—	मुखा	
161	—"—	—"—	परसा—27	कण्डा	
162	—"—	—"—	—"—	खरसोता	
163	—"—	—"—	—"—	झालरिया	
164	—"—	—"—	—"—	धघरा	
165	—"—	—"—	—"—	वठौरा	
166	—"—	—"—	—"—	परसा	
167	—"—	—"—	—"—	चिलमा	
168	—"—	—"—	—"—	लुरगी	
169	—"—	—"—	—"—	सरगवां	
170	—"—	—"—	—"—	वैरामू	
171	—"—	—"—	—"—	तरकाखांड	
172	—"—	—"—	—"—	ढोढ़ा	
173	—"—	—"—	—"—	खटवावरदर	
174	—"—	—"—	—"—	पाढ़ी	
175	—"—	—"—	—"—	सीतारामपुर	
176	—"—	—"—	बलरामपुर—28	बलरामपुर	
177	—"—	—"—	—"—	अधौरा	
178	—"—	—"—	—"—	जौराही	
179	—"—	—"—	—"—	भनौरा	
180	—"—	—"—	—"—	सरनाडीह	
181	—"—	—"—	—"—	मझौली	
182	—"—	—"—	—"—	चन्दरपुर	
183	—"—	—"—	—"—	टागरमहरी	
184	—"—	—"—	—"—	तुर्रीडीह	
185	—"—	—"—	—"—	दहेजवार	
186	—"—	—"—	—"—	दर्रीडीह	
187	—"—	—"—	—"—	पीपरसोत	
188	—"—	—"—	—"—	वड़कीमहरी	
189	—"—	—"—	नवाडीह—29	तातापानी	
190	—"—	—"—	—"—	दमोदरपुर	
191	—"—	—"—	—"—	धनेशपुर	
192	—"—	—"—	—"—	धनगांव	

1	2	3	4	5	6
193	—"—	—"—	—"—	नवाडीह	
194	—"—	—"—	—"—	बरदबंधा	
195	—"—	—"—	—"—	विश्रामनगर	
196	—"—	—"—	—"—	रजबंधा	
197	—"—	—"—	—"—	लुरघुटा	
198	—"—	—"—	—"—	सारंगपुर	
199	—"—	—"—	बरदर—30	पिंडरा	
200	—"—	—"—	—"—	अलखडीहा	
201	—"—	—"—	—"—	ओबरी	
202	—"—	—"—	—"—	खुर्रा	
203	—"—	—"—	—"—	जतरो	
204	—"—	—"—	—"—	जवाहरनगर	
205	—"—	—"—	—"—	नावाडीहखुर्द	
206	—"—	—"—	—"—	भवानीपुर	
207	—"—	—"—	—"—	सेमली	
208	—"—	—"—	—"—	बरदर	
209	—"—	—"—	—"—	कृष्णानगर	
210	—"—	—"—	—"—	चितविश्रामपुर	
211	—"—	—"—	—"—	पिपराही	
212	—"—	—"—	—"—	बनौर	
213	—"—	—"—	—"—	भैसामुण्डा	
214	—"—	—"—	—"—	रामनगरकला	
215	—"—	—"—	—"—	रामनगरखुर्द	
216	—"—	—"—	—"—	सुर्रा	
217	—"—	—"—	—"—	संतोषीनगर	
218	—"—	—"—	जाबर—31	जाबर	
219	—"—	—"—	—"—	अमडंडा	
220	—"—	—"—	—"—	नावाडीहकला	
221	—"—	—"—	—"—	पचावल	
222	—"—	—"—	—"—	मंगरहरा	
223	—"—	—"—	—"—	जमुआडांड	
224	—"—	—"—	—"—	खड़ियादामर	
225	—"—	—"—	—"—	झपरा	
226	—"—	—"—	—"—	डूमरखोरका	

1	2	3	4	5	6
227	—"—	—"—	—"—	बुधूडीह	
228	—"—	—"—	—"—	पुटसू	
229	—"—	—"—	—"—	भेलवाडीह	
230	—"—	—"—	महराजगंज—32	सौनी	
231	—"—	—"—	—"—	कोटपाली	
232	—"—	—"—	—"—	खजुरी	
233	—"—	—"—	—"—	महराजगंज	
234	—"—	—"—	—"—	राधकृष्णानगर	
235	—"—	—"—	—"—	जरहाडीह	
236	—"—	—"—	—"—	चिरकोमा	
237	—"—	—"—	—"—	झलपी	
238	—"—	—"—	—"—	पुटसुरा	
239	—"—	—"—	—"—	सागरपुर	

रोहित यादव,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक 161/दो-2-3/2005.—श्री सी. एल. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-06-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 162/दो-2-9/2004.—श्री लाखन सिंह, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव, वर्तमान अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 15th October 2007

No. 7440/I-7-3/2007 (Pt.-I).—In continuation of the Notification No. 5514/I-7-3/2007 (Pt.-I), Bilaspur Dated 22-11-2006, earlier issued by the Registry of the High Court regarding Vacations and Holidays for the High Court of Chhattisgarh for the Year 2007, it is hereby notified that 22nd October, 2007 i.e. the next day of Dussera festival is declared as holiday for the High Court and its Registry. Further, it is notified that in lieu of the same, 17-11-2007 earlier notified as closed Saturday, now shall be working day for the High Court.

By the order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.